PANCHDOOT
The Voice of Youth

अक्टूबर-नवम्बर, 2018 ■ मूल्य 30/- रूपए

पञ्चदूत

www.panchdoot.com

मानवता शिखर से शून्य...

संस्थापक स्व. नरेन्द्र मुकुल
व्यवस्थापक त्रिभुवन नारायण सिंह
प्रधान कार्य. अधिकारी विक्रम सोलंकी
प्रधान संपादक व्याघ्रराज
वरिष्ठ संपादक निधि शर्मा
सह- संपादक संजय सोलंकी
विधि सलाहकार राजेन्द्र प्रसाद जैन, पराग जैन, रामकुमार खटोड़
क्रिएटिव हैड प्रदीप पाण्डेय
डिजाइनिंग सागर कम्प्यूटर्स
कार्यालय संवाददाता खुशहाल शर्मा
मार्केटिंग मुकुल्स पब्लिकेशन
मार्केटिंग हैड गौरव शर्मा

स्वामी, प्रकाशक एंव मुद्रक व्याघ्रराज के द्वारा पञ्चदूत मासिक पत्रिका, आजाद प्रिंटर्स, चन्द्रशेखर आजाद मार्केट, हनुमानगढ़ टाउन (राज.) 335513 से मुद्रित एवं प्रकाशित। **सम्पादक** : व्याघ्रराज

आरएनआई नं- 39685/83

पंजीकृत कार्यालय

पञ्चदूत 'मासिक', आजाद प्रिंटर्स, चन्द्रशेखर आजाद मार्केट, हनुमानगढ़ टाउन

वेब कार्यालय

माणिक्य नगर, नजदीक पुलिस थाना, माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा
फोन- 01489-230125 **मो.-** 7976407302

संपादकीय कार्यालय

जीवन भवन 65-के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (राज.) 335001

क्षेत्रीय कार्यालय

- 74, दूसरी मंजिल, लाजपत नगर, जगतपुरा, जयपुर
- न्यू हाउसिंग बोर्ड, पाली
- किला रोड पावटा, जोधपुर
- गुमानपुरा, कोटा
- हिरणमगरी, उदयपुर
- बजरंग फिलिंग स्टेशन, नागौर

प्रादेशिक कार्यालय

- पूजावाला मोहल्ला, बठिण्डा
- खण्डवाड़ी, तहसील पालमपुर, जिला-कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

सदस्यता शुल्क

मासिक : 30/- **वार्षिक** : 300/-

सभी जिलों में जिला स्तरीय पञ्चदूत के शाखा कार्यालय को व्यवस्थित संचालन तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिए संपर्क करें।
फोन- 01489-230125 **मो.-** 7976407302
E-mail:
magazine@panchdoot.com

सर्वर प्रबंधक

Querynext Technology

पत्रिका में प्रकाशित चित्र व लेख के कुछ आंकड़ों को इंटरनेट वेबसाइटों से संकलित किया गया है।

सम्पादकीय

यह अंधी दौड़ किस दिशा में लेकर जायेगी?

अभी हाल में एक खबर आई थी कि ब्रिटेन में युवाओं की आत्महत्या को रोकने के लिए एक मंत्रालय की स्थापना की गयी है और इस मंत्रालय की कमान वहां की स्वास्थ्य मंत्री को अतिरिक्त प्रभारी जैकी डायल को दिया गया। ब्रिटेन में हर साल करीब 4,500 लोग आत्महत्या करते हैं और यहां 45 साल से कम उम्र के पुरुषों की मौत का एक प्रमुख कारण आत्महत्या है। इस खबर के मायने हमारे हिसाब से हम अलग-अलग निकाल सकते हैं परन्तु इस खबर को मानवीयता के पतन के रूप में देखना बहुत आवश्यक है कि अब मानव इतना कमजोर हो गया है कि वह अपने आप को ही समाप्त करने पर तुला है और यह इतनी गंभीर समस्या बनकर सामने आ रहा है कि सरकारों को इस मानवीयता के पतन को रोकने के लिए मंत्रालय बनाने की आवश्यकता पढ़ रही है।

यह खबर हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है कि हमारे युवा सभ्यता और संस्कृति में ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों के पीछे भाग रहे हैं और यह अंधी दौड़ उनको किस दिशा में लेकर जायेगी? शायद यह खबर उसका एक जवाब हो सकती है। वैसे हमारे देश में भी आत्महत्या के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है, खासतौर से किसानों की आत्महत्या तो विचारणीय मुद्दा है परन्तु अवसाद से घिरे विद्यार्थियों और नौकरशाहों की आत्महत्या अलग ही कहानी बयां करती है। इन आत्महत्याओं की तह में बहुत से ऐसे कारण होते है जो हल्की सी समझदारी के साथ आसानी से समाधान किया जा सकता था परन्तु आज का युवा किस तरह से और किस के इशारे पर सोचता हैं यह समझना बहुत मुश्किल होता जा रहा है।

एक तरफ जहां समाज विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर कुछ असामाजिक तत्वों और मानसिक रूप से कुंठित लोगों के कारण इसका तेजी से नैतिक पतन भी हो रहा है। एक तरफ आप देखेंगे कि हमारी युवा पीढ़ी आजादी के नाम पर पश्चिमी सभ्यता का पीछा करते हुए अपने संस्कारों को ताक में रखते हुए अपने अधिकारों के लिए दूसरे के कर्तव्य को कुर्बान कर रहे है, वही दूसरी तरफ इनकी इस ऊर्जा का फायदा उठाने वाले इनके उपयोग का पूरा पथ तैयार कर बैठे हैं। ब्रिटेन सरकार का यह फैसला अब हमारे युवाओं के लिए सोचने का अवसर दे रहा है कि उनको पश्चिमी सभ्यता का पीछा करते हुए, अश्लीलता और अवसाद के रास्ते पर जाना है जिसकी मंजिल आत्महत्या तक जाती है या हमारी प्राचीन संस्कृति के सानिध्य में जिन्दगी बितानी है जिसकी मंजिल शान्ति और सुकून के साथ भरा पूरा संयुक्त परिवार ।

वास्तव में आधुनिकता के नाम पर जो कुछ हो रहा है, जिसको तथाकथित विकास कहा जा रहा है, यह विकास ही है मूल समस्या की जड़ में। वास्तव में हाल में बढ़ती छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाएँ और उसके बाद की स्थितियां भी हमारी इस सोच को पुख्ता कर देती है कि जिस मनुष्य ने इस सारी व्यवस्था को बनाया वो मनुष्य ही अब मानवीयता के खात्मे के बारे में सोचने लगा है। कठुआ, मंदसौर और अब गुजरात के साथ - साथ बहुत सी घटनाएं हैं जो यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि मनुष्य अब दानव बनने की ओर अग्रसर है। वैसे अगर देखें तो हमारे देश और समाज में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं मौजूद थी जो मानवीयता को शर्मसार करने के लिए काफी थी परन्तु समय के साथ-साथ हमने पश्चिमी सभ्यता का पीछा करते हुए उन से तो पार पा लिया परन्तु बदले में जो हमने नया पाया उसका नतीजा अवसाद, दंगे और अश्लीलता के रूप में हमारे सामने एक नई चुनौती की रूप में खड़ी हो गयी है जिस से पार पाने का फिलहाल कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है।

जिस देश के युवा हर बड़ी कंपनी के संचालन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, हर महत्वपूर्ण खोज में जिस देश के युवाओं का हाथ होता है। जिस देश से दोस्ती करने को बहुत से देश तत्पर रहते हैं, भारत जिसको विश्वगुरु के रूप में पहचाना जाता था और बहुत से राष्ट्र आज भी भारत को गुरु मानते हैं परन्तु आज हमारी जो स्थिति है कि कुछ राष्ट्राध्यक्ष हमको धमकी देते हैं तो सोचो ऐसा करने या सोचने के पीछे उनको किस विचार ने हिम्मत दी? सीधा है कि एक तो हमारे युवाओं का पश्चिमी संस्कृति की तरफ ललचाई नजर से देखना और अंधभक्तों की तरह उसका पीछा करना और दूसरा बड़े मंच पर हमारी आपसी फूट वाली विचारधारा जो खास तौर पर राजनीति में साफ नजर आती है। अभी भी वक्त है जाग जाओं, अपनी क्षमताओं को पहचानों और घर की लड़ाई में दूसरों को शामिल करना छोड़ दो वर्ना वह दिन दूर नहीं कि हम भी पश्चिमी बीमारियों के मकड़जाल में उलझ कर रह जायेंगे जिसका इलाज ढूंढ़ने से भी नहीं मिलेगा।

यूजीसी को लगभग 3,022 शिकायतें मिलीं हैं। जिसमें 416 शिकायतों के साथ उत्तर प्रदेश अव्वल रहा। इसके बाद मध्य प्रदेश (357), प. बंगाल (337), उड़ीसा (207) और बिहार (170)

हमारी संवेदनाओं को शून्य बनाती रैगिंग

इसके पीछे छिपी भयावहता को वे ही छात्र समझ सकते हैं जो इसके शिकार हुए हैं। 17 मई, 2018 की बात है कोलकाता के सेंट पॉल कॉलेज के पहले वर्ष के एक छात्र को सीनियर छात्रों ने कथित रूप से निर्वस्त्र किया और यातना दी थी। जिससे आहत होकर छात्र ने आत्महत्या कर ली। बढ़ती आधुनिकता के साथ रैगिंग के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। रैगिंग आमतौर पर सीनियर द्वारा कॉलेज में आए नए छात्रों से परिचय लेने की प्रक्रिया है। कॉलेजों का सीनियर-जूनियर परिचय सम्मेलन अब तेजी के साथ क्राइम में बदलता जा रहा है। गलत व्यवहार, अपमानजनक छेड़छाड़, मारपीट जैसे वीभत्स रूप रैगिंग के सामने आते हैं। स्कूल में अनुशासित जीवन जीने के बाद जब आपका बच्चा कॉलेज में कदम रखता है तो उसे नहीं मालूम होता कि आज उसके साथ क्या होने वाला। रैगिंग ने कुछ छात्रों के जीवन में इस कदर बदलाव किया कि उनका पहला दिन आखिर बन गया। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पांच साल के रैंगिग के आंकड़े जारी किए है। जो 2013 से 2017 तक के। जिसमें 75 फीसदी वृद्धि बताई गई है। इन पांच सालों में यूजीसी को लगभग 3,022 शिकायतें मिलीं हैं। जिसमें 416 शिकायतों के साथ उत्तर प्रदेश अव्वल रहा। इसके बाद मध्य प्रदेश (357), पश्चिम बंगाल (337), उड़ीसा (207) और बिहार (170)। रिपोर्ट में केवल आंकड़े ही चौंकाने वाले नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान इससे छात्रों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में अध्ययन कराने का निर्देश दिया है। यूजीसी की पहल पर जेएनयू के प्रोफेसरों व विशेषज्ञों ने कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों का आधार बनाकर इस पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। यद्यपि यह रिपोर्ट काफी पहले जेएनयू की अध्ययन कमेटी ने सौंप दी थी, किन्तु यूजीसी ने अब इसे सार्वजनिक किया है। रैगिंग को लेकर सरकार की ओर से अब तक की यह सबसे व्यापक अध्ययन रिपोर्ट है। इसमें रैगिंग करने वाले छात्रों, संस्थाओं तथा पीड़ित सभी को चिन्हित करने के साथ ही इस पर रोकथाम के लिए दीर्घकालिक तथा तात्कालिक कदम उठाये जाने के भी सुझाव दिये गए हैं। अध्ययन रिपोर्ट में उन सभी तरीकों की पहचान की गई है, जिसके माध्यम से कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में छात्रों की रैगिंग की जाती है। इंट्रोडक्शन के नाम पर जूनियर छात्रों को परेशान किया जाता है। इस तरह की रैगिंग सबसे अधिक होती है। इसे रिपोर्ट में सॉफ्ट रैगिंग कहा गया है।

इन छात्रों की वजह से चरम पर रैगिंग

रैगिंग पर सुप्रीम कोर्ट 2001 में सख्त रूप से बैन कर चुकी है लेकिन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में रैगिंग सबसे अव्वल नम्बर पर होती है। देशभर के सभी बड़े छोटे कॉलेजों में मेडिकल और इंजीनियर्स स्टूडेंस बढ़-चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। पहले रैगिंग में केवल लड़के ही ज्यादा हिस्सा लिया करते थे लेकिन अब लड़कों से ज्यादा लड़कियां हिस्सा लेती है। इसमें शारीरिक रैगिंग से लेकर सीनियर्स के सभी काम करने के पहलू शामिल होते हैं।

कहां से आई रैगिंग

रैगिंग भारत की देन नहीं है, ऐसा माना जाता है कि ग्रीस में 7वीं और 8वीं शताब्दी में खेल समुदायों में खिलाड़ियों में खेल की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य इसकी शुरूआत की गई थी। मगर उसके बाद सैन्य अधिकारियों ने इसे अपना लिया और फिर धीरे-धीरे स्कूल और कॉलेजों में भी छात्रों ने रैगिंग शुरू कर दी। लोगों ने हमेशा रैगिंग को गलत रूप देने की कोशिश की। सबसे पहले यूरोपीय देशों में छात्र संगठन बनाने की प्रथा शुरू हुई। शुरुआत में छात्रों के संगठन अपने समुदाय के हित में काम करते थे। मगर 18वीं शताब्दी के आखिर तक छात्र संगठनों ने हित के नाम पर अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और हिंसक रूप ले लिया। इसे अच्छे उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था लेकिन इसका उद्देश्य पूरी तरह बदलकर हुकूमत के तौर पर लिया जाने लगा।

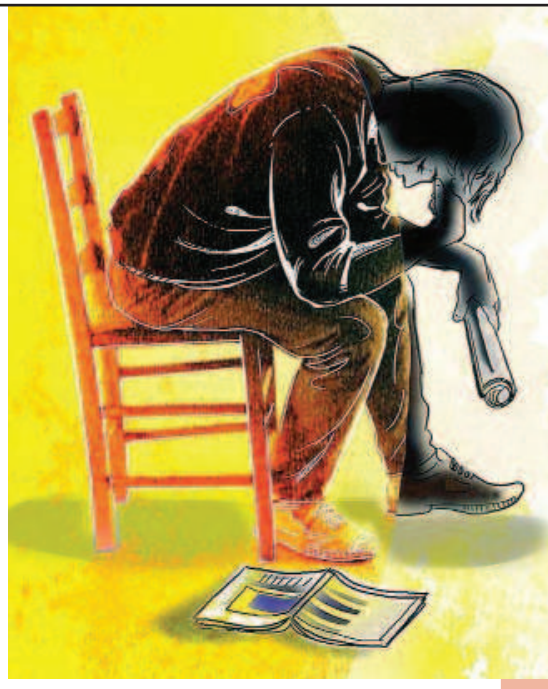

भारत में रैगिंग से पहली मौत

आजादी के वक्त भारत में रैगिंग का रंग केवल अंग्रेजी संस्थानों में ही दिखाई देता था। आंकड़ों की मानें तो वर्ष 1997 में तमिलनाडु में रैगिंग के सबसे ज्यादा मामले पाए गए। उसके बाद साल 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। साल 2009 में धर्मशाला के एक मेडिकल संस्थान के एक छात्र अमन काचरू की रैगिंग से हुई मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी शिक्षण संस्थानों को रैगिंग विरोधी कानून का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए थे। वहीं दुनिया में पहली मौत अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। यहां की कॉरनेल यूनिवर्सिटी की इमारत से गिरकर छात्र की मौत हो गई थी।

मानवता के खिलाफ अपराध

क्या है एंटी रैगिंग कानून

एंटी रैगिंग कानून के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल की जेल भी हो सकती है और दोषी पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक ये राशि 50,000 के पास है। इतना ही नहीं रैगिंग के मामले में कार्रवाई न करने या मामले की अनदेखी करने पर कॉलेज के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।

इस तरह का व्यवहार को रैगिंग माना जाएगा

- छात्र के रंग रूप या उसके पहनावे पर टिप्पणी की जाए या उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाए।
- किसी छात्र का उसकी क्षेत्रियता, भाषा या फिर जाति के आधार पर अपमान किया जाए।
- छात्र की नस्ल या फिर उसके फैमिली बैकग्राउंड पर अभद्र टिप्पणी की जाए।
- छात्रों से उनकी मर्जी के बिना जबरन किसी प्रकार का अनावश्यक कार्य कराया जाए।

कहते हैं शिक्षा ऐसा बीज है जो मनुष्य को जानवरों से अलग बनाती है लेकिन शिक्षा के मंदिरों में ही अब मनुष्य को जानवर कैसे बनाया जाए इसकी शिक्षा मिलने लगी है। जिस तरह कॉलेजों में होने वाले छात्र चुनावों से भविष्य का राजनेता तय होता है उसी तरह से यहां होने वाले अपराधों से तय होती है कि भविष्य में क्या मिलने वाला है। मेडिकल छात्रों का मानना है कि रैगिंग केवल नए छात्र-छात्रों के साथ होने वाला एक छोटा सा मनोरंजन का रूप है इसे कोई अपराध की श्रेणी तय नहीं होती लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को नकारते हुए कहा है कि, छात्रों में सबसे बड़े डिप्रेशन और आत्महत्या का कारण ही रैगिंग या सीनियर्स का दबाव है। दवाब ऐसा कि इसमें पीड़ित स्टूडेंट का व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। कभी इतना रोना आता कि रोका नहीं जाता, कभी कमरा/हॉस्टल छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती। खाना नहीं खाया, दोस्तों से नहीं मिलना, प्रोफेसर से क्लास में सवाल-जवाब करने में हिचकना। जानकार बताते हैं इस तरह से स्वभाव परिवर्तन होने को बायपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। जो आपको सामान्य तो लगेगा लेकिन होगा नहीं। मनोवैज्ञानिकों का कहना जरूरी नहीं हर केस इसका रैगिंग से जुड़ा हो, इसमें डिप्रेशन पढ़ाई का भी हो सकता है। क्योंकि इस पर ज्यादा स्पष्ट तौर से कुछ कहा नहीं जा सकता। काउंसिलिंग सेंटर्स का कहना है कि वह सालभर में 20-25 स्टूडेंस की काउसिलिंग लेते हैं पहली नजर में उनको देखने से लगता है वह किसी युद्ध को लड़कर आए है। उनके साथ बातचीत के दौर में कई चीजें निकल कर सामने आती हैं इसमें मेंटल और शारीरिक बातें ज्यादा निकलकर सामने आती है। देश के विभिन्न भागों में रैगिंग की वजह से मौत और आत्महत्या की कोशिशें हो रही हैं। ऐसी दुखद घटनाएं लगातार देश को आघात पहुंचा रही हैं और हमारी बची हुई मानवता को शून्य। हमारे देश में लगभग हर अपराध के लिए कानून बनने हुए है। जब कोई बड़ी घटना सामने आती है तब हल्ला करने हम पहुंच जाते हैं लेकिन फिर क्या? क्या हम उस मामले से कुछ सीख पाते हैं या फिर उस हल्ले से जिसे हम किसी पीड़ित छात्र के मन में एक उम्मीद जलाते हैं। वैसे तो कॉलेज खुलने के समय नए विद्यार्थियों को प्रवेश मिलने की खुशियां मनानी चाहिए। लेकिन उन्हें कॉलेज के सीनियर छात्रों के कठोर व्यवहार को सहना पड़ता है। ऐसे बहुत कम छात्र होते हैं, जो रैंगिंग के खिलाफ लड़ते हैं। अनगिनत छात्र ऐसे हैं, जो चुपचाप इसे सहते हैं, और पूरे जीवन पीड़ा का अनुभव करते हैं। रैगिंग से मौत होने पर ही इसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर सब कुछ शांत हो जाता है। ये खेल मानवता के खिलाफ बड़ा अपराध है। जो अपनी चरम सीमा पर है। जिन एक दो घटनाओं को आप बड़ा मुद्दा नहीं मानते मत भूलिए ये वहीं मुद्दे है जिनमें से कल कोई आतंकी बनेगा, दंगे करेगा और मानवता को मरते हुए आप देखेंगे।

ऐसे बहुत कम छात्र होते हैं, जो रैंगिंग के खिलाफ लड़ते हैं। अनगिनत छात्र ऐसे हैं, जो चुपचाप इसे सहते हैं, और पूरे जीवन पीड़ा का अनुभव करते हैं।

अधिकारों के लिए प्रगतिशीलता

डरते नहीं और भय को निकालते भी नहीं

प्रगतिशील लोग परिवर्तन और प्रगति में रुचि रखते हैं। यदि आप चीजों पर नए तरीके से सोचना चाहते हैं और खुद को बदलने के लिए तैयार हैं तो आप एक प्रगतिशील विचारक हैं। प्रगतिशील व्यक्ति वह है जो अधिक प्रगति चाहता है। विचारधारा में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन देखा जाता है कि हमारे संविधान में हमें जो अधिकार दिए हैं, उससे सिर्फ संपन्न व्यक्तियों को ही लाभ पहुंचता है।

आज इस तथ्य में कोई दो राय नहीं है कि हम और हमारा समाज अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संविधान के मानकों से काफी पीछे है। यह देखना समय की जरूरत है कि हमें जो अधिकार मिले हैं, हम उसे हासिल करने के लिए कितने प्रगतिशील हैं? यह सवाल भी प्रासंगिक होता जा रहा है कि क्या हम एक रूढ़िवादी और दकियानूसी समाज के रूप में ही रह गए हैं। क्या हम अपने संविधान की तुलना में बहुत कम प्रगतिशील हैं। क्या हमारे भीतर प्रगतिशील होने का अहसास हैं। ऐसी कई चीजें हैं हमें काफी असामान्य बनाती हैं।

भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। हम महंगे कैफे में खाते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और एप्पल उत्पादों का उपयोग करते हैं। हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करते हैं। हम सोशल नेटवर्किंग स्थलों पर सक्रिय रूप से सक्रिय हैं। ट्विटर और फेसबुक जानकारी के नए स्रोत हैं। यह भी नहीं भूलते कि हमारे पास मित्रों और परिवार का विस्तृत नेटवर्क है जिसके साथ हम हर समय जुड़े रहते हैं। लेकिन इन सबके आगे भी हमें विचार करना चाहिए। हम परिवर्तन के अग्रणी वाहक भी हैं। हम पुराने दृढ़ विश्वासों को छोड़ते भी नहीं हैं और न ही हम तथाकथित 'भारतीय संस्कृति' की महिमा की चादर ओढ़े रहते हैं। हम प्रगतिशील होने से डरते नहीं हैं और अपने सिर से सामाजिक भय को निकालते भी नहीं हैं। दमन का प्रतिरोध करने के लिए हमारे पास गेंद है। पर उसे उछालने में भय का अनुभव करते हैं। ऐसे में आज के युवाओं को एक अलग रोशनी में देखना जरूरी हो गया है।

यह खुशी की बात है कि हमारे पास युवाओं की एक ऐसी पीढ़ी हैं जिसने जाति, पंथ और लिंग की बाधाओं को पूरी तरह से हटा दिया है। युवाओं में मनुष्यों के लिए सम्मान का भाव है। लम्बे समय से, भारत जो सभी प्रकार के भेदभाव के लिए जाना जाता रहा है, अब उसमें कमी आ रही है। जो भी भेदभाव की घटनाएं आती हैं, उसकी वजह त्वचा रंग, लिंग, जाति या पंथ नहीं है। आजादी के बाद के इतिहास को देखें तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद युद्ध, भूख और गरीबी को लेकर बड़ी चिंता और बेचैनी थी। पर आज ऐसा नहीं है। तो मूल सवाल यही खड़ा होता है कि क्या हम अपने अधिकारों के लिए प्रगतिशील हैं। उत्तर नहीं में है। प्रगतिशील लोग परिवर्तन और प्रगति में रुचि रखते हैं। यदि आप चीजों पर नए तरीके से सोचना चाहते हैं और खुद को बदलने के लिए तैयार हैं तो आप एक प्रगतिशील विचारक हैं। प्रगतिशील व्यक्ति वह है जो अधिक प्रगति चाहता है। विचारधारा में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन देखा जाता है कि हमारे संविधान में हमें जो अधिकार दिए हैं, उससे सिर्फ संपन्न व्यक्तियों को ही लाभ पहुंचता है। संविधान तो संपन्न और विपन्न वर्गों के बीच तो कोई भेदभाव नहीं करता लेकिन वास्तविक रूप में विपन्न वर्ग के लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास न्यायालय के जरिए न्याय पाने का साधन नहीं होता। कोर्ट फीस बहुत होती है। वकीलों को खर्च देना तो भुक्तभोगी ही जानता है। प्रजातांत्रिक राजनीति में विश्वास रखने वाले इस बात से कभी सहमत नहीं हो सकते कि सामाजिक कल्याण के लिए अधिकारों का हनन किया जाए। प्रजातांत्रिक राजनीति के लिए अधिकार जरूरी है। उसे हासिल करने के लिए प्रगतिशील होना भी जरूरी है।

JMJ TRAVELES
आपके शहर की शान
राजस्थान में कही पर भी सभी प्रकार की कार टैक्सी के मासिक या वार्षिक अनुबंध के लिए संपर्क करे।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे।
मोबाइल नं. +91 9784005246

आरक्षण पॉलिसी मानवता के खिलाफ अपराध

भारत अपने लोगों को श्रृंखला में बांधता है। आज की तारीख में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो हरेक शिक्षित युवक और युवती की जुबान पर है। इन युवाओं का आक्रोश इस बात पर है कि उनसे काफी अंक लाने वाले लोगों का चयन सरकारी नौकरियों में हो जा रहा है और वे ज्यादा शिक्षित होने के बाद भी दर-दर की ठोंकरे खाने को मजबूर होते हैं। सवाल है कि आरक्षण क्या है? सीधे शब्दों में कहा जाए तो विशेष रूप से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण एक उपकरण है जिससे उन्हें दूसरों के समान होने में मदद दी जानी है। समानता के लिए आरक्षण को महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई शक नहीं कि आरक्षण समाज के ऊपरी और निचले वर्गों के बीच के अंतर को दूर करने के लिए था। लेकिन इस मुद्दे को एक अर्थ में समझने की आवश्यकता है। न्याय प्रदान करने का काम सभी के बीच खुशी को बढ़ावा देता है। लेकिन इस न्याय, समानता से तो समाज में विघटन के हालात हैं। यदि विघटन उत्पन्न होता हो तो फिर ऐसी पॉलिसी क्यों?

एक उदाहरण से इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। दौड़ की एक प्रतियोगिता हो रही है। जहां दो खिलाड़ी हैं जिन्हें भाग लेने के लिए 'समान अवसर' दिया गया है। शर्त यह है कि जो भी पहले दौड़ को पूरा करेगा वह जीत जाएगा। अब, एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां उनमें से एक महंगा जूते पहन रहा है और उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है। दूसरी तरफ, दूसरा खिलाड़ी नंगे पांव है। क्या वास्तव में यहां 'अवसर की समानता' है? क्या यह सिर्फ नियम है? हां। क्या सच्चे अर्थों में यह समानता है? जवाब होगा नहीं- और इसका कारण शायद लोगों को सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय जैसे नियमों और अवधारणाओं से अवगत कराए। लेकिन, भारत की आरक्षण नीति उतनी ही अपराधपूर्ण हो गई है जितना कि जातिवाद। आरक्षण नीति अब उन सिद्धांतों के खिलाफ जा रही है जिन पर इसे लागू किया गया था। यह नीति बहुत ही त्रुटिपूर्ण हो गई है - और अब यह समाज की मूल्यों वाली प्रणाली को कम कर रही है। आज, आरक्षण नीति उन लोगों को भी वंचित कर रही है जिन्हें उसका लाभ उठाना है। क्या इस नीति से जाति व्यवस्था का अंत होकर बड़ी सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा जहां उच्च और निम्न जातियों की अवधारणाएं मौजूद नहीं रहेंगी?

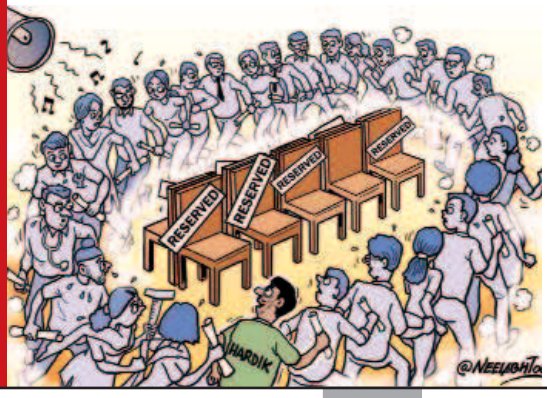

लेकिन मूल सवाल तो यह है कि क्या आरक्षण नीति वंचित लोगों को शिक्षा और रोजगार प्रदान करने के लिए पर्याप्त है? नहीं, इसे बदले जाने की जरूरत है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए आरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन इसे विनियमित किया जाना चाहिए ताकि यह प्रतिभा को कमजोर न करे। मेरा मानना है कि भारत की आरक्षण नीति को एक ऐसी योजना से बदला जाना चाहिए जहां गरीब और वंटित पृष्ठभूमि वाले बच्चों को प्राथमिकता से उच्च माध्यमिक स्तर तक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। इसके लिए, सरकार को अपनी शिक्षा प्रणाली को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अपग्रेड करना होगा। इसके अलावा, पिछड़े समुदायों के लोगों के पूर्ण पोषण प्रदान करने की एक योजना होनी चाहिए। और आरक्षण नीति, यदि आवश्यक हो, तो वह लोगों को नौकरी की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए होनी चाहिए। नौकरी के लिए कम्पीटीशन में किसी भी रियायत का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

सवाल यह भी है कि हम जाति आधारित आरक्षण का विरोध करते हैं लेकिन पूरी जाति व्यवस्था के खिलाफ विरोध नहीं करते? सवर्ण जातियां एससी/एसटी आरक्षण के मुकाबले पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के खिलाफ क्यों हैं?

नौकरियां प्रदर्शन के आधार पर

जहां तक मेरा मानना है-नौकरियों को प्रदर्शन पर आधारित होना चाहिए, जिस तरह से खेल शुद्ध प्रदर्शन पर आधारित होते हैं। अगर किसी के पास शतक बनाने का कोई कौशल नहीं है, तो वह तेंदुलकर बनना भूल जाए। जब तक कोई तेंदुलकर जैसा प्रदर्शन नहीं कर करता, वह उतनी प्रसिद्धि हासिल नहीं कर सकता। यही प्रतिस्पर्धा, प्रेरणा को बढ़ावा देती है। मान लीजिए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड फैसला करती है कि भारतीय टीम में 20 प्रतिशत खिलाड़ी गांवों के या गरीब अथवा निचली

जातियों के होने चाहिए, तो क्या ऐसे खिलाड़ियों की प्रदर्शन क्षमता बढ़ाने के लिए उपाय नहीं किए जाएंगे। या मान लीजिए, अगर नोबेल समिति का फैसला है कि एक गरीब वैज्ञानिक एक्स का काम आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धान्त से बेहतर है तो क्या आपको लगेगा कि समिति विज्ञान के प्रति अन्याय कर रही है?

मानवता के खिलाफ एक अपराध

आज की आरक्षण पॉलिसी सिर्फ अजीब ही नहीं, यह मानवता के खिलाफ एक अपराध भी है। गैर सक्षम युवा को नौकरी देकर आप एक योग्य उम्मीदवार के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। जब भी किसी संस्था में विशिष्ट हिस्सों को आरक्षित किया जाता है तो उन सक्षम युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं पर तुषारापात हो जाता है जो उस पद के लिए समर्थ होते हैं। इसके साथ ही, इस नीति से वंचित वर्गों के वे अच्छे कलाकार भी कमजोर हो जाते हैं जिन्होंने योग्यता पर पदक जीते होंगे। किसी भी तरह का जाति, पंथ, पृष्ठभूमि, अर्थव्यवस्था, लिंग के आधार पर आरक्षण योग्यवान युवाओं को अवसरों से वंचित कर देता है। यह तो युवाओं को अन्यायपूर्वक दंडित करने का काम हुआ। जब भी कोई समाज एक अच्छे कलाकार को दंडित करता है, तो समाज के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगता है। क्या हम चाहेंगे कि योग्यवान युवा आगे न बढ़ सकें और वे कहीं खोकर रह जाएं।

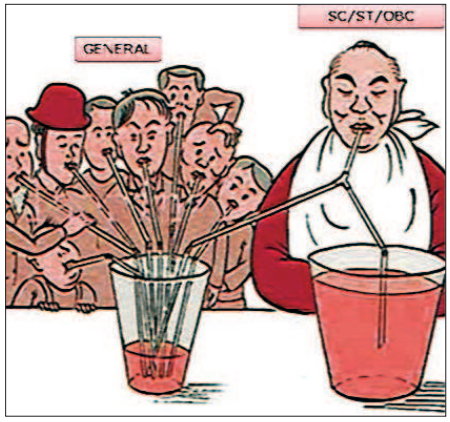

राजनीतिक पार्टियों ने किया वोट बैंक के लिए आरक्षण का इस्तेमाल

आज आरक्षण समर्थक और इसके विरोध में लोग आमने-सामने हैं। आरक्षण का मुद्दा इतना बढ़ गया है कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर भी उतारू हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि आरक्षण पिछड़ी जाति के लिए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि आरक्षण प्रणाली 10 साल तक ही रहेगी। किसी भी सूरत में आरक्षण प्रणाली को नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हमारे नेताओं ने आरक्षण का इस्तेमाल अपना वोट बैंक भरने के लिए किया। जहां आरक्षण को 10 साल बाद समाप्त किया जाना था, वहीं इन राजनीतिक पार्टियों ने आरक्षण को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया और बढ़ाते चले गए। आरक्षण के पक्ष में संविधान में नए-नए अनुच्छेद जुड़ते गए। आरक्षण के विरोध और समर्थन में होने वाले आन्दोलनों से हुए नुकसान का तो अनुमान लगा लिया जाता है लेकिन इस आरक्षण प्रणाली से मानव और मानवता का कितना नुकसान हो रहा है, वह कहीं भी नहीं है। आईआईटी या एम्स जैसे प्रमुख संस्थानों से पढ़े युवा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। वे शायद अपने घर के स्कूल और शहर में सबसे अच्छे हैं, लेकिन वे जानते हैं कि प्रतिस्पर्धा भयंकर है और सीटों की संख्या कम है लेकिन आरक्षण के उच्च प्रतिशत के साथ आगे समझौता किए जाने से वे बौने हैं। इन युवाओं को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ता है। उनका यह संघर्ष कभी भी किसी भी आंकड़े का हिस्सा नहीं होगा। अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उनका परिवार भी संघर्ष ही करेगा।

हम खेल में आरक्षण स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबसे सक्षम लोग देश और राष्ट्रीय ध्वज का प्रतिनिधित्व करें, तब कम क्षमता कब स्वीकार्य होनी चाहिए? आरक्षण एक सफेद हाथी बन गया है जो विभाजनकारी भी हो गया है। व्यक्तिगत प्रवीणता का लाभ जब देश को नहीं मिले तब ऐसी आरक्षण नीति का क्या मतलब?

अपनी बेवसाइट और मोबाइल एप बनवाओ
सस्ते में अपने नाम और बिजनेस को चमकाओ
www.querynext.com
Querynext Technology
Contact - Akram Khan
+919967207816
akramkhan0889@gmail.com

21वीं सदी में पाषाण युग का स्वाद

कमजोर हैं मानवता के खिलाफ अपराधों पर बने कानून

वर्ष 2009 से भारत में बच्चों के खिलाफ अपराधों में लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2009 से बच्चों के खिलाफ अपराध में वृद्धि हुई है। 2009 में 24,203 घटनाएं हुईं थीं जो 2015 में बढ़कर 92,172 हो गई।

आज हर कहीं सुनाई दे रहा है कि मानवता के खिलाफ अपराधों में इजाफा हुआ है। मानवता तार-तार हुई जा रही है। किसी में शर्म नाम की जैसी कोई चीज ही नहीं बची है। और आखिर में, तर्क दिया जाता है कि मानवता की रक्षा के लिए हम आगे नहीं आएंगे तो हमारी प्राचीन सामाजिक धरोहर, परिवार की अवधारणा कैसे जीवित रह सकेगी। अत्याचार, बलात्कार, यौन दासता, दासता, नस्लवाद का अपराध, हिन्दू बनाम मुस्लिम को रंग देना, बाल श्रम, पर्यावरण को नुकसान, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में होने वाली रैगिंग, नरसंहार, आक्रामकता का अपराध, आबादी का निर्वासन या जबरन हस्तांतरण, स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करना आदि अनगिनत ऐसे अपराध हैं जिनको गिना जाना सम्भव नहीं है। मन और मस्तिष्क पर कुठाराघात करने वाला हर अपराध मानवता के खिलाफ अपराधों में गिना जाना चाहिए। मानवता के खिलाफ अपराध कुछ ऐसा काम है जो व्यापक रूप से निर्देशित-व्यवस्थित हमले या व्यक्तिगत हमले के रूप में किसी भी नागरिक या समूह के खिलाफ जानबूझकर किया जाता है। मानवता के खिलाफ अपराध उन बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रता से भी जुड़ा हुआ है जिसका इंसान हकदार हैं। यहां यह भी देखा जाना चाहिए कि मानवाधिकार नागरिक स्वतंत्रता से अलग हैं, जो एक विशेष राज्य के कानून द्वारा स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए बनाए जाते हैं और उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में लागू होते हैं। संक्षेप में कहें, तो मानव अधिकार कस्टम या कानून के द्वारा स्थापित स्वतंत्रताएं हैं जो मनुष्यों के हितों और हर राष्ट्र में सरकारों के आचरण की रक्षा करते हैं।

नरसंहार की तरह अन्तरराष्ट्रीय कानून का एक सर्वोच्च मानदंड

'मानवता के खिलाफ अपराध' शब्द का उपयोग सम्भवत: सबसे पहले अठारहवीं सदी के अंत और उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ। हालांकि इस शब्द का (या बहुत समान शब्द) का उपयोग दासता और दास व्यापार के संदर्भ में किया गया था। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवाद से जुड़े अत्याचारों और बेल्जियम के लियोपोल्ड द्वितीय द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन करने के लिए दासता शब्द का इस्तेमाल किया गया था। लगता है कि 'मानवता के खिलाफ अपराध' शब्द 1915 में सहयोगी सरकारों (फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और रूस) द्वारा औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक रूप से तब शुरू किया गया था जब तुर्क साम्राज्य में

अर्मेनियाई लोगों की सामूहिक हत्या की निन्दा की घोषणा की गई। मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा पहली बार न्यूरेमबर्ग में अंतरराष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण (आईएमटी) में 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही चलाया गया था। न्यूरेमबर्ग के साथ ही टोक्यो में आईएमटी की स्थापना करने वाले चार्टर में अपराधों की एक समान परिभाषा दी गई थी। यह भी देखे जाने योग्य तथ्य है कि मानवता के खिलाफ अपराधों को अभी तक अंतरराष्ट्रीय कानून में नरसंहार और युद्ध अपराधों की तरह से संहिताबद्ध नहीं किया गया है, हालांकि ऐसा किए जाने का प्रयास जारी हैं। इसके बावजूद, मानवता के खिलाफ अपराधों को नरसंहार की तरह अंतरराष्ट्रीय कानून का एक सर्वोच्च मानदंड माना जाता है। कोई इसे नकार नहीं सकता और यह सभी देशों पर लागू होता है।

भारत के संदर्भ में देखा जाए तो हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर होने वाले अपराधों के हालात से निपटने के लिए कानूनों की जरूरत पर देश में बहुत बहस हुई है। भारत में बड़े पैमाने पर मानवता के खिलाफ अपराधों के कुछ दस्तावेज भी सामने आए हैं। हालांकि हरेक मामले के कारण, तथ्य और जिम्मेदारी अलग-अलग दिखती है लेकिन समान बात यह है कि ये सभी तथ्य मानवता के खिलाफ अपराधों की परिभाषा को पूरा करते हैं।

विश्वसनीयता और आपराधिक न्याय पर प्रश्न?

वर्ष 2006 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था कि हिरासत में उत्पीड़न, हमले और मौत की घटनाएं इतनी व्यापक हैं कि 'कानून के शासन की विश्वसनीयता और आपराधिक न्याय पर गंभीर प्रश्न उठाए जा सकते हैं। एक एशियाई मानवाधिकार आयोग ने अपने एक अध्ययन में निष्कर्ष निकाला था कि देश के हर थाने में यातना देने का अभ्यास किया जाता है। दुखद स्थित यह है कि मानवाधिकार समूहों के मुताबिक, जब तक कि हिरासत में कोई मौत न हो, उसके आंकड़े ही तब तक दर्ज नहीं किए जाते। यह आंकड़ा साल-दर-साल बढ़ता ही जा रहा है। संक्षेप में, सामान्य रूप से यही देखा जाता है कि पुलिस, सुरक्षा बलों द्वारा यातना देना, हिरासत में मौत और झूठी मुठभेड़ सरकारों की आदत पड़ चुकी है। नागरिकों को नियंत्रित करने के लिए भी इस तरह की घटनाओं को अमली-जामा पहनाया जाता है। यद्यपि हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं लेकिन दक्षिण एशियाई महाद्वीप में पाषाण युग का स्वाद मिलता रहता है। कहना न होगा कि पंजाब, कश्मीर और पूर्वोत्तर में, सुरक्षा बलों ने राज्य से पुरस्कार और प्रचार प्राप्त करने की उम्मीद में संदिग्धों और साधारण व्यक्तियों को मारने के लिए फर्जी मुठभेड़ों का करना जारी रखा है। यह दुखद स्थिति है कि वर्ष 2009 से भारत में बच्चों के खिलाफ अपराधों में लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2009 से बच्चों के खिलाफ अपराध में वृद्धि हुई है। 2009 में 24,203 घटनाएं हुईं थीं जो 2015 में बढ़कर 92,172 हो गई। गहन विश्लेषण से यह भी रेखांकित किया गया है कि सामान्य वर्ग की लड़कियों के अपहरण और वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिगों को बेचे जाने की घटनाएं बहुत बढ़ी हैं। हालांकि 'मानवता के खिलाफ अपराध' एक ऐसा फॉर्मूलेशन है जो समाज के ताकतवर लोगों, समूहों की सुरक्षा के लिए नियुक्त पुलिस बलों द्वारा किया जाता है। 'मानवता के खिलाफ अपराध', 'भयावहता का डरावना रूप है।' ऐसा क्यों हुआ? मुझे नहीं पता।

गरीबी कोई श्राप नहीं है लेकिन समाज के नजरिए ने इसे लाइलाज बीमारी जैसा बना दिया है।

'दीवाली गरीबों की'

गरीबी बच्चों का भविष्य पूरी तरह प्रभावित कर उसे अंधकार में भेज देती हैं, जिससे बच्चा जीवन भर गरीबी के पैरों तले रौंदा जाता है। और इंसान के जीवन के हर लम्हे को दिन-ब-दिन कष्टकारी बनाता है। गरीबी इंसानियत, ईमानदारी को दर बदर भटकने को मजबूर कर देती है।

गरीबी क्या है, 'वह अवस्था जिसमें लोग अपनी साधारण जरूरतों को भी पूरा करने में असमर्थ हो, अपने बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ हो व उसका भविष्य जब सुरक्षित न हो। गरीबी कोई श्राप नहीं है लेकिन समाज के नजरिए ने इसे लाइलाज बीमारी जैसा बना दिया है।

गरीबी भूख है, उस अवस्था से जुड़ी हुई निरन्तरता की। गरीबी है एक उचित रहवास का अभाव, गरीबी है बीमार होने पर स्वास्थ्य सुविधा ना मिल पाना, शिक्षा के लिए विद्यालय ना जा पाना, आजीविका के साधनों का अभाव और दिन में दोनों समय भोजन भी न मिल पाना।

इससे पता चलता है कि एक गरीब का पूरा जीवन किन-किन विपदाओं से घिरा पड़ा रहता है। जिस गरीब के यहां दो वक्त के भोजन की व्यवस्था नही हो पाती, गरीबी उस स्थिति की तरह होती है, जब इंसान एक दयनीय स्थिति में होता है, तब वह चाह कर भी अपनो की इच्छाओं को पूर्ण करने में असक्षम होता है। गरीबी एक ऐसी स्थिति जिसे कोई इंसान जीना नहीं चाहता है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण यह है, सामाजिक प्रथा, उचित शिक्षा का अभाव, समाज में उपयुक्त स्थान न मिलने पर एक दायरे में वक्त व्यतीत करना, भ्रष्टाचार यह सभी गरीबी के मुख्य कारण हैं। गरीबी पैसों की कमी, समाज में हमेशा भेदभाव के चलते हमेशा अन्दर ही अन्दर आत्मा को तड़पा देती है। यही गरीबी के चलते वह समाज से दूरी बना लेता है, दो वक्त की रोटी की तलाश में मजदूरी करता है। शिक्षा के अभाव के कारण वह गरीबी दु:ख में परिवार के साथ वक्त बिताता है। यही मजबूरियां उसे बड़ा होकर गरीबी को ढ़ोने पर मजबूर कर देती है, बच्चे की काबिलियत पर जैसे अंकुश लग जाता है। गरीब परिवार के बच्चों को समय से पूर्व ही, समझदार होना पड़ता है, क्योंकि जिन्दगी इतना समय नहीं देती की वह जिद करे बचपन में किसी प्रकार की सुविधा के लिए। दो वक्त की रोटी के लिए पिता के साथ-साथ बच्चों को भी मजदूरी पर जाना पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति की कमाई से परिवार का एक वक्त का खाना नहीं होता है। बस इसी जद्दोजहद में ना जाने बचपन कहां खो जाता है, ना कोई बचपन, ना कोई जवानी होती है वो बस दो वक्त की रोटी और ईमान की रक्षा करना में ही जीवन व्यतीत कर बुढ़ापे में पहुंच जाता है। गरीबी की जंग समाज मे इज्जत के लिए, बच्चों को अच्छी परवरिश, माहौल, ओदा देने के लिए ताउम्र बनी रहती है। एक बेहतरीन सुखी इंसान बनने का अभाव मन में ही रह जाता है। गरीबी पल-पल सड़कों पर, फुटपाथों पर, मंदिरों के बाहर, सरकारी अस्पतालों में दम तोड़ती रहती है। जंग हर जगह है, कहीं हक के लिए, कहीं दो वक्त की रोटी, इज्जत, कपड़ा, भूख, शिक्षा के लिए। गरीबों की जिंदगी की असली जंग 'गरीबी' है। गरीबी के कई चेहरे होते हैं, जो व्यक्ति, स्थान और समय के अनुसार बदलता है। गरीबी एक अदृश्य लेकिन पीड़ा दायक समस्या है, जो सामाजिक जीवन, मानसिक व शारीरिक रूप से प्रभावित करती है। गरीबी खून के आंसू रुलाती है, दुनिया के सामने सामाजिक लोगों के सामने शर्मिंदा करती है, गरीबी एक ऐसा कहर बरसाती है कि इंसान खुद ही से दु:खी हो जाता है, और लगातार यह गरीबी को खत्म करने की होड़ में सारा जीवन लगा रहता है। गरीबी बच्चों का भविष्य पूरी तरह प्रभावित कर उसे अंधकार में भेज देती हैं, जिससे बच्चा जीवन भर गरीबी के पैरों तले रौंदा जाता है। और इंसान के जीवन के हर लम्हे को दिन-ब-दिन कष्टकारी बनाता है। गरीबी इंसानियत, ईमानदारी को दर बदर भटकने को मजबूर कर देती है। इसी गरीबी के दरमियान न जाने गरीब अपने जीवन में भारतीय संस्कृति में मनाये जाने वाले त्यौहार कैसे मनाते होंगे, जहां इस गरीबी में दो वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल होता है भारतीय संस्कृति

में धार्मिकता का सबसे बड़ा त्यौहार है दीवाली। दीवाली एक ऐसा त्यौहार है, जो सबसे बड़ी अमावस्या पर ही मनाई जाती है फिर भी सबसे बड़ा, पवित्र त्यौहार और सभी के घरों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। दीवाली की रात जितनी काली होती है, उतनी रोशन भी। अमीरों के घरों में रंग, घरों में महंगे फर्नीचर, सभी के लिए नए कपड़े, महंगे पठाखे। वहीं दूसरी और गरीब घरों के बच्चे ताकते आसमां पटाखों की रोशनी से चेहरे-चेहरे पर मुस्कान ले आते। न जिस्म पर कपड़ों का मोह, न पकवान की तमन्नाएं, बस आंखों मे एक आस मां-पिता को शर्मसार न होना पड़े। इस गरीबी के कारण बच्चों के सामने बस गली के दोस्तों के साथ मस्ती कर दोस्तों के साथ वक्त बिता के देर रात लौट आते है। आस-पास चलते इस माहौल से परेशान होकर पूछते हैं कि आखिर क्या गुनाह है हमारा कि हमारी ऐसी दशा है। जिसके चलते गरीब परिवार अपने बच्चों को चंद पलों की खुशियां भी नहीं दे सकते हैं। सहमे दिल फिर खुद को समझा लेते हैं, यही है मेरी किस्मत, यही है मेरी हैसियत भगवान भी कुछ अनोखा चाहता होगा मुझसे तभी दे रहा है इतनी तकलीफ। बस यही सोच खुद को समझा कर गरीब फिर एक नई उम्मीद के साथ सो जाता है। जब देखता वो त्यौहार पर सभी के घर जग-मग दीयों और लाइटों से सभी तैयार नए कपड़ों के साथ होता अफसोस उन बच्चों बड़ों को देखा सहपरिवार हजारों के पटाकों को फोड़ खुशियां मनाता, परिवार आंसू गिरते आंखों लगातार। जैसे सावन समा गया हो, अमावस की रात, कैसे ये त्यौहार है, भगवान देख ईमानदार गरीब की दशा तू भी छोड़ देगा ये जहान, कैसा ये तेरा त्यौहार है, कैसा तेरा जहान है। महसूस किया है, गरीबी की कुछ बातों को कितना भी क्यों ना मातम मनाते गरीबी किसी इंसान पर लेकिन जमीर का इंसान कभी गिरा नहीं। देखा, उसकी नजरों में रात के अंधेरे में दीयों की रोशनी में उसके चेहरे को मुस्कुराता मगर बेबसी के अहसासों को चेहरे पर देख मानो दीवाली नहीं, उस गरीब के लिए, एक ऐसी रात जिसमें ग्रहण लगा हो। उसके परिवार पर जैसे, देखों लोगों की कहावतों को ज्ञानियों के उपदेशों को त्यौहार होते हैं, खुशियों को मनाने के लिए उफ उस गरीब को महसूस करते, कुछ रीति-रिवाज दान के लिए भी बनाते उस गरीब की भी दीवाली खुशियों से भर जाती, कहा है कुछ महात्माओं ने त्यौहार खुशियां मनाने का एक जरिया है तो क्यों है ये दाग गरीबी का हर त्यौहार पर उसे मन ही मन घुटने और तरसने को मजबूर कर देता है गरीबों के कुछ अपने जिन्होंने इस स्थिति में उनको छोड़ दिया उसका मुश्किलों में साथ नहीं दिया उसे मजबूर कर दिया दर बदर भटकने को यहां। सुबह से रात कर दी उसकी मजदूरी की उसने रात को दीवाली है, कुछ पैसों से बच्चों और घरवाली के लिए सामान ले जायेगा, लेकिन सेठ बोला आज दीवाली है, पैसा नहीं देता किसी को कल आना मजदूरी के पैसे लेने को। किस कदर देखा होगा खुदा ने उस मंजर में गरीब को। मजबूर मां ने भी बच्चों को सुला दिया भूखे ही ये कहकर की परियां आएंगी सपनो में रोटियां लेकर। जिस के घरों में बन रही दीवाली बड़ी धूम धाम से आबाद है वो उस गरीब के हाथों पे पड़े छालों से जिसने ईमानदारी से किए उसके हर कामों को पूरा किया क्यूं न दीवाली हम कुछ इस कदर मनाए, गरीबों की मुस्कुराहट के लिए, उन्हें जरूरत के हिसाब से उनको कुछ तोहफे दिलाए। जरूरी नहीं हैसियत की दिल बड़ा रखना चाहिए, नए ना सही तोहफे कुछ पुराने ही सही मगर हो गरीब के इस्तेमाल के तोहफों में कुछ कम्बल ही सही कुछ पुरानी ही सही लेकिन उनके लिए उपयोग की ही सही वस्तुएं। ये तोहफे नहीं, किसी गरीब के जिन्दगी की ख्वाइशें हैं, जो उसे दीवाली के पावन अवसर पर तोहफे में मिल रही है। गरीब के मुस्कुराते हुए चेहरे से ही है दिवाली। क्योंकि दिवाली खुशियां मनाने का एक त्यौहार है। इसे एक जरूरतमंद के साथ बांटने से दिवाली का त्यौहार ओर भी रोशन हो जाता है, दिलो में।

कुछ खुशियां उनके नाम जिनका कोई नहीं इस दुनिया मे मजबूर है दर बदर ठोकरे खाने को, उन्हीं के लिए, कुछ पल अपनी जिंदगी से चुरा के उनके साथ वक्त बिताना। उनकी खुशियों के लिए छोटी ही सही मगर दिल से कोशिश करे हम, क्योंकि आने वाले समय मे इतने हाथ उठे गरीब परिवारों के लिए की एक वक्त के बाद गरीबी जड़ से खत्म हो जाए।

नीलेश मालवीय
©nile_s_hmalvi

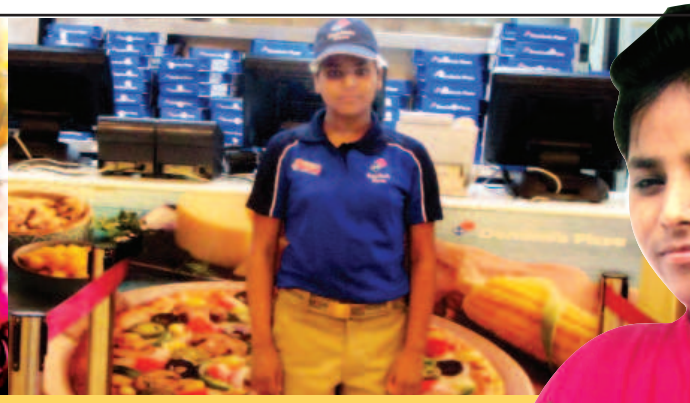

मक्का की रोटी से डोमिनोज तक का सफर

जहां एक तरफ महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध हमारी बेटियों के लिए बेड़ियां बन रही है वहीं कुछ महिलाएं/बेटियां प्रेरणा बनकर भी निकल रही है। जो आने वाले समय में समाज की भद्दी सोच को चुनौती देने के लिए तैयार हो रही है। यहां ऐसी ही बेटी की कहानी साझा कर रहे हैं। जो कहने को आदिवासी है लेकिन अगर आप उसे देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। दरअसल ये कहानी है पिन्टू की। जो आदिवासी परिवेश से आती है और जिसके नौ भाई-बहिन है। पिन्टू जिसने अपने घर की चार दीवारी से ज्यादा कुछ नहीं देखा आज वह अपने गांव की रोल मॉडल बनकर उभरी है। जिस पिन्टू को गांव वाले जानते हैं वह तो चूल्हा जलाना, खाना बनाना, गाय बकरियां को चारा डालना जैसे सारे काम करती है लेकिन जब नौकरी पर जाती है तो आज के मॉडर्न युग की दिखाई पड़ती है।

पिन्टू के अंदर ये बदलाव आसानी से नहीं आया। इसकी शुरूआत हुई एजुकेट गर्ल्स के साथ टीम बालिका के रूप में जुड़कर। अपने घर में पहली लड़की है जो संस्था के साथ जुड़कर टीम बालिका बनी। पिन्टू के पिता बताते हैं कि वह अपनी बेटी की इस तरक्की से काफी खुश हैं और चाहते हैं कि उनके गांव की हर बेटी आगे बढ़ें।

उन्होंने आगे बताते हुए कहा, टीम बालिका बनने के बाद पिन्टू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी पढ़ाई के साथ संस्था ने उसे कम्प्यूटर का बेसिक कोर्स भी करवाया जिससे वह अपनी आजीविका चलाने में और मजबूत हो सकी। इसके लिए मैं संस्था का अभारी हूं। आपको बता दें पिन्टू वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर जिले में डोमिनोज में काम कर रही है। एजुकेट गर्ल्स में करीब दो साल तक टीम बालिका रही पिन्टू ने करीबन 15 लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ने का काम किया। पिन्टू के गांव के लोग बताते हैं कि उन्हें उस पर गर्व है कि वह उनके गांव की लड़की है और उसकी तरह अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। यहां साझा की गई तस्वीरें बोलती है.. नारी शिक्षित तो समाज शिक्षित।

विलुप्त होती मानवता

आज के दौर में हर किसी चीज के विलुप्त होने का खतरा है, कई पशुओं की प्रजातियां, कई पक्षी, कई तरह के पेड़, जल, मिट्टी सब ही धीरे-धीरे क्षय हो रहे हैं।

तो क्या कारण है इसका, आखिर क्यों? अगर हम सही तरह से कुछ देर सोच कर देखें तो हमें अंदाजा होगा कि इन सब का प्रमुख कारण विलुप्त होती मानवता है। हमारा सारा ध्यान अब हमारी जरूरतों, ऐश-ओ-आराम के साधनों को जुटाने में लगा है और इस दौड़ में या यह कहें कि इस अंधी दौड़ में दौड़ते-दौड़ते हम सबसे कीमती चीज को खो रहे हैं और वो है मानवता! अगर हम अपनी मानवता को बचाए रखने के लिए थोड़े जतन करें तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही कहां पड़ेगी। हमें ये एहसास खुद होने लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं।

अगर हम मानवता को बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम बाकी सब कुछ बचा सकते हैं। हर परेशानी की जड़ लालच ही तो है और चंद रुपयों का लालच इतना ज्यादा कि हमें कुछ होश नहीं रहता। जानवरों का शिकार करते-करते हम खुद जानवर बन चुके हैं। जो लोग तस्करी करते हैं पेड़ों की, पशुओं के अंगों की, वो लोग क्यों करते हैं, लालच के कारण ही ना और अब स्थिति तो इतनी बदतर हो गयी है कि वो प्रजातियां जो कभी लाखों की तादाद में थीं अब हजार भी पूरी करना मुश्किल लगता है।

तो आखिर जड़ कहां है इन सब की, वो क्या है जो हमसे ये सब करवाता है? अगर किसी के अंदर मानवता है तो वो एक चींटी को भी मारना नहीं चाहता, पर जो इससे खाली है या ये कहें कि जिसने मानवता को कहीं दबा दिया है अपने अंदर उसके लिए इंसान को मारना भी बड़ी बात नहीं है।

चलो ये भी मान लिया की हम ज्यादा कुछ करने में सक्षम नहीं हैं, मगर ये क्या की कुछ सही नहीं कर सकते तो कुछ गलत करते हैं। हम इस आपा-धापी में भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान हम अपना ही कर रहे होते हैं।

धरती का पानी प्रदूषित हो रहा है, दिन पर दिन पानी का स्तर कम होता जा रहा है, मिट्टी कमजोर हो रही है, जो पेड़ मिट्टी को बांधे रखते थे वो पेड़ अंधाधुंध काटे जा रहे हैं, बरसात भी अपना रुख बदल रही है , मौसम ने भी अपना समय बदल लिया है, हवा भी दिन पर दिन और प्रदूषित हो रही है। अब आलम ये है कि लोगों को तरह-तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो वो इंसान जो और प्रजातियों को खतरा पहुंचा रहा था अब अपने लिए भी खतरा बन चुका है।

तो इससे बेहतर समय मुझे नहीं लगता कि और कुछ हो सकता है जब हम ठहर कर सोचें कि कमी कहां है। और एक इंसान को नहीं हर किसी को ऐसा करने की जरूरत है।

इंसान की हैवानियत तो अब इस कदर बढ़ गयी है कि वो इंसान को भी कोख में मार देता है वो भी सिर्फ लिंग के आधार पर, शारीरिक शोषण अब महिलाओं तक ही सीमित नहीं है छोटे बच्चों पर भी होने लगा है। तो क्या ये सब सोचने पर मजबूर नहीं करता कि अब और कितना गिरेंगे हम। अब बहुत हुआ अब ऊपर उठने के अलावा कोई चारा नहीं है। और इसके लिए जरूरी है कि हम सवाल करें खुद से कि क्यों कर रहे हैं ये सब हम, किसके लिए, जिस भौतिक सुख को पाने के लिए हम सब हर किसी को रौंदते जा रहे हैं वो भौतिक सुख भी तो क्षणिक है और लालची भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती। वो उकसाती है और गलत करने के लिए। ख्वाहिशें होती हैं हर किसी की, और उन्हें इतनी आसानी से छोड़ा भी नहीं जा सकता, पर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी और की ख्वाहिशों को कुचल कर आगे बढ़ना भी तो ठीक नहीं है ना। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमें भी आगे जाकर कोई मिल ही जाएगा जो हमारी ख्वाहिशों को कुचल कर आगे बढ़ जाएगा क्योंकि हर कोई उसी दौड़ में है।

अब समय आ गया है कि हम अपनी मानवता को जागने की कोशिश करें और उसे सोने न दें। हम मानव इसलिए कहलाते हैं क्योंकि मानवता है हमारे पास। कुदरत की देन है ये, इसके साथ छेड़छाड़ विनाशकारी है और ये तो हम सब ही देख रहे हैं। एक बार अगर हम अपने अंदर की कुदरत को संवारना शुरू कर दें तो बाहर की कुदरत अपने आप संवर जायेगी। मानवता ही मानव का आधार है और बिना आधार के कोई खड़ा नहीं रह पाता, ये बात हमें समझनी होगी तभी हम कुछ कर सकते हैं अपने आस-पास को बचाने के लिए।

और आखिर में एक छोटी सी कविता -

खो कर खुद को कहो
कौन यहां जी पाया है
लालच की अंधी दौड़ ने
सब कुछ ही छिनवाया है
खोकर अपनी मानवता को
हमने सब ही तो गंवाया है
अगर बचा सकें तो बेहतर होगा
वरना बैठ कर फिर पछताना है।

दीपशिखा (परवी)

अधिकार आधारित दृष्टिकोण से परवरिश में सुधार

कुमार एस. रतन

जितनी तेजी से वैश्वीकरण हमारे समाज में जगह बना रहा है उतनी ही तेजी से सामाजिक ढाँचा बदल रहा है और इसके परिणाम स्वरुप परिवार का स्वरुप बदल रहा है और साझा परिवार एकल परिवार की ओर बढ़ रहा है इसलिए इस तेजी से बदलते समाज में यह तलाशना आवश्यक हो जाता है की समाज, परिवार, माता-पिता, विस्तारित परिवारों, स्कूल, पुलिस और सामाजिक अभिनेताओं की क्या भूमिका और जिम्मेदारी हो और उन सभी लोगों का जो एक बच्चे के जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकते हैं। बदलते समाज के कारण, परिवारों के बीच नैतिक मूल्य कम हो रहा है, परिवार में बढ़ते तलाक और पृथक्करण के दर को इसके एक प्रभाव के रूप में देखा सकता है। तलाक और पृथक्करण ना तो सिर्फ परिवारों, समाज के लिए दर्दनाक है, बल्कि यह बच्चों पर जीवनकाल तक प्रभावित करता है। एक वयस्क अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते है, लेकिन जैसा कि बच्चे को अपनी भावना और उनके लिए माता-पिता द्वारा उठाए गए निर्णय को बच्चे व्यक्त नहीं कर सकते, और चूंकि बच्चे अपने तकलीफ, व्यथा, भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, उनके दर्द समाज और व्यवस्था अच्छी तरह से समझ पाता है। परिवार, माता-पिता, बच्चे को अपनी संपत्ति के रूप में मानते हैं, वो ऐसा समझते है की बच्चे के साथ वो जो चाहे कर सकते हैं और उनके लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं, जो एक मिथक है, यहाँ यह समझने की जरुरत है की बच्चे को कम उम्र के एक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, वे संपत्ति नहीं हैं। दरअसल, वयस्क समाज भी इन पारिवारिक मामलों में बच्चों की ओर उनकी खुद की भूमिका पर विचार नहीं कर रहा है जो की बड़ी ही दुखद सच्चाई है। एक बच्चे राष्ट्र के भविष्य और एक सर्वोच्च उपहार है, और जब वे बड़े हो जाते है वे वयस्क समाज का एक हिस्सा हो जायेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे ऐसे माहौल में बड़े होंगे तो क्या वो बिना डरे, झिझके समाज में पूरी तरह से योगदान कर पाएंगे इसलिए समाज इसे परिवार का निजी मामला कहकर अपनी भूमिका से नहीं बच सकते, समाज को अपनी भूमिका निभाने की जरुरत है।

परिवार, माता-पिता, बच्चे को अपनी संपत्ति के रूप में मानते हैं, वो ऐसा समझते है की बच्चे के साथ वो जो चाहे कर सकते हैं और उनके लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं, जो एक मिथक है, यहाँ यह समझने की जरुरत है की बच्चे को कम उम्र के एक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, वे संपत्ति नहीं हैं।

बच्चों के जीवन पर प्रभाव

बढ़ते तलाक और पृथक्करण जैसे मामले में अक्सर देखा गया है की परिवार न्यायालय माता या पिता में किसी एक को बच्चे का पूर्ण अधिकार दे देता है तो दूसरे को कुछ समय सिर्फ मुलाकात का, क्या ऐसे में बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ता, इसकी तो विदेशों में कई शोध हो चुके हैं, पर हमारे देश में अभी तक नहीं हुआ और न ही बाहरी देशों के शोध को हमने अपनाया, हां कभी-कभी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जरूर व्याख्या की है जो की विवेक सिंह वर्सेज रोमानी सिंह के ऑर्डर में देखा जा सकता है। अलग हुए माता-पिता के मामले में, ऐसा कई दार्शनिकों ने कहा है और कई लेख भी हैं जो कहते हैं पति-पत्नी के सम्बन्ध का तो विच्छेद हो सकता है परन्तु एक बच्चे के लिए माता-पिता का नहीं। यह बहुत ही दर्दनाक स्थिति होती है जब एक बच्चा किसी भी एक माता या पिता से अलग होता है, और मैंने इस पर जोर दिया है की इसका असर बच्चों पर जीवनकाल तक प्रभावित करता है। अगर स्थिति पर विचार करे तो

ऐसे में बच्चे और उनके व्यक्तित्व के समग्र विकास, समाज में एक बड़ी समस्या को बयान करती है माता-पिता बच्चे की जिंदगी में पहले होते हैं जो बच्चो को भावनात्मक लगाव व प्यार देते हैं, जो अपने बच्चों को सामाजिक बनने में सक्षम बनाते हैं। इसलिए, किसी भी या दोनों माता-पिता से मिलने से वंचित या दूर करना (जिसे की हम "Parental Alienation" से भी जानते हैं) बच्चों के जीवन पर प्रभाव डालता है, और कभी कभी यह बच्चे के जीवन और मृत्यु की बात भी बन जाती है।

बच्चों के लिए हो अनुकूलित वातावरण

बच्चों के लिए अनुकूलित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए की वे एक स्वस्थ, सुखी और मैत्रीपूर्ण वातावरण में बड़े हो, इन्हें अपने माता-पिता से निर्विरोध और सीधा संपर्क बनाए रखने के लिए व्यवस्था दिया जाना चाहिए, चाहे दोनों माता-पिता अलग हीं क्यों ना रह रहें हो, इनके अपने माता-पिता से प्यार, देखभाल, स्नेह की जरूरत को संसार की किसी खुशी से आंका नहीं जा सकता लेकिन आम तौर पर वे माता-पिता में किसी भी एक के से वंचित हो जा रहें हैं। वर्तमान परिदृश्य में यह जरूरत तो है हीं साथ ही साथ दोनों माता-पिता के साथ सीधे संपर्क बनाए रखने का अधिकार भी है, यह अधिकार जिसे की 'बच्चे के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' (UNCRC) ने महत्वपूर्ण माना है और यही नहीं परिवार शब्द पर UNCRC का काफी जोर रहा है।

अधिकार आधारित दृष्टिकोण

अधिकार आधारित दृष्टिकोण (RBA) में, जहां राज्य को सबसे बड़ा गार्जियन माना गया है वहीं बच्चों को राष्ट्र के लिए सर्वोच्च उपहार के रूप में जाना है। राज्य अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बच्चों को पोषण, शिक्षा, टीकाकरण एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु बाध्य है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (3) के तहत राज्यों को बच्चे के लिए राज्यस्तरीय कानून और नीति बनाने के अधिकार प्राप्त है जिसमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा मुहैया करना तथा उपेक्षा के सभी रूप, दुरुपयोग, हिंसा और जो भी नैतिक रूप से संगत नहीं है से बच्चे को बचाना शामिल है। अधिकार आधारित दृष्टिकोण में आश्रय, पोषण, प्यार, देखभाल, संरक्षण और बच्चों के समग्र विकास और परवरिश के लिए निर्णय एवं अन्य के लिए प्राथमिक रूप से परिवार की जिम्मेदारी है, जिसका सीधा मतलब यह होता है की इन सब को लेना बच्चों का अधिकार है। माता-पिता का प्यार एक बच्चे के लिए कितना जरुरी है आप इस बात से समझ सकते हैं की, इनके प्यार से हीं बच्चे प्यार और भावनात्मक लगाव, लगाव को विकसित करते हैं, जो उन्हें उनकी चिंताओं को माता-पिता के साथ स्वतंत्र रूप से अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए सक्षम बनाता है।

अधिकार आधारित दृष्टिकोण (RBA) से बदलते समाज में टूटते परिवारों में बिखरती अन बोलते जिंदगियों की सुरक्षा को हम देखते हैं, क्यूंकि एक बच्चे को संसार से कहीं ज्यादा माता-पिता की जरुरत है और यह दृष्टिकोण, दोनों माता पिता की देखभाल करने के लिए और अपने बच्चों के लिए निर्णय लेने में बराबर जिम्मेदारी के अधिकार का भी समर्थन करता है। RBA में जीवन के स्वामित्व की जगह यह बाल जीवन के संरक्षण की बात करता है, यह प्यार हीं नहीं जिम्मेदारी की भी व्यवस्था को समर्थन देता है। इस तरह RBA में समाज और व्यवस्था मिलकर, बच्चों को बेहतर स्वस्थ, सुखी और पारिवारिक माहौल प्रदान किया जा सकता है और उन्हें माता-पिता दोनों के साथ सीधा संपर्क बनाए रखने दिया जा पायेगा।

अब श्रीगंगानगर में
24x7 आपातकालीन सेवाएँ फार्मेसी एम्बयूलेंस
मेदांता
दी मेडिसिटी
जीवन को समर्पित
एस.एन सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल
• बाईपास सर्जरी
• वाल्व सर्जरी
• एन्जियोप्लास्टी
• एन्जियोग्राफी
• पेसमेकर लगवाना
• न्यूरो सर्जरी
• स्पाईन सर्जरी
• ट्रोमा एवं हेड इंजरी
• घुटना एवं कूल्हा प्रत्यारोपण
• हर तरह के फैक्चर के ऑप्रेशन
• ऑर्था स्कोपी सर्जरी
नाथावाली, हनुमानगढ़-सुरतगढ़ बाईपास
श्रीगंगानगर (राजस्थान)
मो. 74130-34560, 0154-2970360

आखिर सभ्य समाज जा कहां रहा है?

2017 के आंकड़ों के अनुसार, 97 प्रतिशत केसों में महिलाएं अपनों की ही शिकार होती है।

एनसीआरबी के जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2017 में देश में 28,947 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना दर्ज की गयी।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2016 में देश की विभिन्न अदालतों में चल रहे बलात्कार के 1,52,165 नए-पुराने मामलों में केवल 25 का निपटारा किया जा सका।

महिलाओं-बच्चियों के साथ होते अपराधों में इजाफा इस कदर हो रहा है जैसे बंपर नौकरियां निकली है और सब इसे पाना चाहते हैं। मेरी मंशा किसी को आहत करना नहीं है लेकिन वर्तमान हालात ऐसे ही हैं। जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी उतनी दूर तक हर कोई औरत को नोच कर खाने पर तुला है। 2017 के आंकड़ों के अनुसार, 97 प्रतिशत केसों में महिलाएं अपनों की ही शिकार होती है। यानी अपराध करने वाला कोई परिचित ही होता है। देश में ऐसी कम ही घटनाएं हुई जिसमें कोई अपना लिप्त न हो। निर्भया कांड उसमें से एक है। इस घटना पर जिस तरह देश एकजुट नजर आया उसे मानों उम्मीद जगी की इस बार कानूनी रूप से कुछ बड़ा होगा। जिस तरह से देश भर में विरोध के स्वर गूंजे थे और जैसे सरकारी, गैरसरकारी संगठनों ने महिला अपराधों की रोकथाम के लिए जनचेतना से लेकर कानूनी प्रावधानों तक में बदलाव की चर्चाएं की थी, उपाय सुझाएं थे लेकिन इस सबके बावजूद परिणाम उलट ही निकले और आज वर्तमान हालात आपके सामने है। इंसान की इंसानियत जहां मर रही है वहीं हवस का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। हवस ऐसी की रिश्ते भी तार-तार हो चले हैं, भाई बहिन से, पिता बेटी से। ये ही नहीं औरत-औरत को बेच रही है। मानो जैसे इंसानियत किसी में बची ही नहीं है। यह हमारे सभ्य समाज की भद्दी सोच बेहद निराशाजनक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2015 में देश में 34,651 मामलें रेप से संबंधित दर्ज हुए हैं। छेड़छाड़ के मामलें देखें तो यही कोई 8 लाख से ज्यादा मामलें एक वर्ष में ही पुलिस के सामने आए हैं वहीं रेप के प्रयास का आंकड़ा एक लाख 30 हजार के पार था। महिलाओं से छेड़छाड़ हो या बलात्कार, अपहरण हो या क्रूरता सभी क्षेत्रों में बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि देश दुनिया में आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यह भी सही है कि देश में कतिपय महिलाओं द्वारा महिला सुरक्षा के लिए बने कानून का दुरुपयोग व झूठे आरोप लगाने के मामलें भी तेजी से सामने आ रहे हैं और रेप के आरोप को हथियार बनाकर ब्लैकमेंलिग कर लूटने का रास्ता बनाया जाने लागा है।

रेप की घटनाओं को दिया जाता है राजनीतिक और साम्प्रदायिक रूप

निर्भया, उन्नाव और कठुआ कांड जैसे मामलों में जब-जब सड़कों पर महिलाओं के सम्मान के प्रति जनभावना और युवाओं का आक्रोश देखने को मिलता है उसे लगा इस बार लोगों में मरी मानवता संवेदनशीलता बढ़ेगी और असामाजिक तत्वों पर रोक लगेगी लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। अधिक चिंताजनक यह है कि रेप या इस तरह की घटनाओं को राजनीतिक व सांप्रदायिक रुप दिया जाने लगा है और राजनीति व सांप्रदायिकता की आग में महिलाओं की इज्जत तार-तार होने के साथ ही सामाजिक ताना-बाना भी बिखरने लगा है।

निर्भया कांड जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाला था वहीं अन्य पीड़ित महिलाओं के लिए एक आशा की किरण। वर्मा कमिशन की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने नया एंटी रेप लॉ बनाया। इसके लिए आईपीसी और सीआरपीसी में तमाम बदलाव किए गए, और इसके तहत सख्त कानून बनाए गए। साथ ही रेप को लेकर कई नए कानूनी प्रावधान भी शामिल किए गए लेकिन इतनी सख्ती और इतने आक्रोश के बावजूद अपराध नहीं रूके। एनसीआरबी के जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2017 में देश में 28,947 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना दर्ज की गयी। इसमें मध्यप्रदेश में 4882 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना दर्ज हुई, जबकि इस मामले में उत्तर प्रदेश 4816 और महाराष्ट्र 4,189 की संख्या के साथ देश में दूसरे और तीसरे राज्य के तौर पर दर्ज किये गये हैं। इसके साथ ही नाबालिग बालिकाओं के साथ बलात्कार के मामले में भी मध्यप्रदेश देश में अव्वल स्थान पर है। मध्यप्रदेश में इस तरह के 2479 मामले दर्ज किये गये जबकि इस मामले में महाराष्ट्र 2310 और उत्तरप्रदेश 2115 के आंकड़े के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर है।

कानूनी पकड़ कमजोर

आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 (Criminal law Amendment Act 2013) कहता है कि रेप के मामलों की सुनवाई निश्चित समय में पूरी की जानी चाहिए लेकिन बहुत कम मामलों में ही ऐसा हो पाता है। भारतीय जेलों के में कई बड़े अपराधी और बाबा लोग बंद है, जुर्म तय है कि उन्होंने अपराध किए है लेकिन सजा के मामले में इतनी ढ़ील क्यों बरती जाती है। सिर्फ इसलिए की उनके समर्थक शांति भंग कर देंगे जैसे गुरमीत राम रहीम के समय हुआ या फिर आसाराम के। निर्भया केस आरोपियों को फांसी की सजा तय थी लेकिन उन्हें देने में इतनी देरी क्यों की? क्या इससे अपराधियों के हौसलें बुलंद नहीं हुए क्यों बाबाओं के मामले में तारीख पर तारीख देकर सालों साल मामले खींचे चले जाते और फिर उन्हें बरी कर दिया जाता है। अगर ऐसे बड़े अपराधियों को कठोर सजा नहीं दी जाएगी तो लोगों को कानून पर भरोसा कैसे होगा। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए देश में 275 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं लेकिन ये कोर्ट भी महिलाओं को कम वक्त में न्याय दिलाने में नाकामयाब रहे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2016 में देश की विभिन्न अदालतों में चल रहे बलात्कार के 1,52,165 नए-पुराने मामलों में केवल 25 का निपटारा किया जा सका, जबकि इस एक साल में 38,947 नए मामले दर्ज किए गए और ये तो केवल रेप के आंकड़े हैं, बलात्कार की कोशिश, छेड़खानी जैसी घटनाएं इसमें शामिल भी नहीं।

रेप सबसे कम रिपोर्ट होने वाला जुर्म

दुनियाभर के कानूनों में बलात्कार सबसे मुश्किल से साबित किया जाने वाला अपराध है। इसलिए सबसे कम रिपोर्ट होने वाला जुर्म है। ज्यादातर मामलों में पीड़िता पुलिस तक पहुंचने की हिम्मत जुटाने में इतना वक्त ले लेती है कि फॉरेंसिक साक्ष्य नहीं के बराबर बचते हैं। उसके बाद भी कानून की पेचीदगियां ऐसी कि ये जिम्मेदारी बलात्कार पीड़िता के ऊपर होती है कि वो अपने ऊपर हुए अत्याचार को साबित करे बजाय इसके कि बलात्कारी अदालत में खुद के निर्दोष साबित करे।

क्या कहतें हैं आकड़ें

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर एक घंटे में 4 रेप की वारदात होती हैं। यानी हर 14 मिनट में रेप की एक वारदात सामने आती है।

देश में औसतन हर 4 घंटे में एक गैंग रेप की वारदात होती है।

हर दो घंटे में रेप की एक नाकाम कोशिश को अंजाम दिया जाता है।

हर 13 घंटे में एक महिला अपने किसी करीबी के द्वारा ही रेप की शिकार होती है।

6 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ भी हर 17 घंटे में एक रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है

निर्भया कांड के बाद दिल्ली में दुष्कर्म के दर्ज मामलों में 132 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। साल 2017 में अकेले जनवरी महीने में ही दुष्कर्म के 140 मामले दर्ज किए गए थे। मई 2017 तक दिल्ली में दुष्कर्म के कुल 836 मामले दर्ज किए गए।

विश्व स्वास्थ संगठन के अनुसार, 'भारत में प्रत्येक 54 वें मिनट में एक औरत के साथ बलात्कार होता है।' वहीं महिलाओं के विकास के लिए केंद्र (सेंटर फॉर डेवलॅपमेंट ऑफ वीमेन) अनुसार, 'भारत में प्रतिदिन 42 महिलाएं बलात्कार का शिकार बनती हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक 35वें मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है।

कब टूटेगा सभ्य समाज का भ्रम

इन आंकड़ों को आप भूल सकते हैं लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों से आप गुजरते हैं वो कैसे भूला पाएंगे। मेरी दोस्त सुरभी गोयल बताती है कि जब से उनकी नौकरी दिल्ली में लगी है तब से वह नौकरी से ज्यादा अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में रहती है। वह बताती है बस हो या मेट्रो हर जगह उन्हें घूरती नजरों का सामना करना पड़ता है। एकदिन का वाकया साझा करते हुए बताती है कि एकदिन दफ्तर से निकलते वक्त थोड़ी देरी हो गई जिस वजह से उन्होंने कैब बुक की लेकिन कैब ड्राइवर की अश्लील हरकतों से परेशान होकर उन्हें बीच में ही कैब को छोड़ना पड़ा। सुरभी बताती है कि पिछले 5 सालों से वह दिल्ली में हैं लेकिन उन्हें डर हमेशा बना रहता है यहां तक उन्हें अपनी बिल्डिंग के वॉचमैन से भी डर लगता है। ये डर केवल सुरभी का नहीं है ये डर सुरभी के माता-पिता का भी। या फिर ये डर हर माता-पिता और उनकी बेटियों का है। जो फिर स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाती हो। सुधा (बदला नाम) जिनकी चार साल की बेटी है वह अपनी बेटी को रिश्तेदारों यहां तक की अपने पति के भरोसे भी अपनी बेटी को घर पर अकेला छोड़कर नहीं जाती। वह बताती है कि वह खुद बचपन में बलात्कार का शिकार हो चुकी है, बात भले ही पुरानी हो चली हो लेकिन उसका अहसास आज भी उनके शरीर पर है। बेटी के जन्म के बाद सुधा ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। सुधा बताती है कि वह अपनी बेटी की सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत सकतीं।

मानवता के प्रति अपराध है पोर्नग्राफी

भारत में, निजी तौर पर अश्लील सामग्री को डाउनलोड करना और देखना कानूनी है लेकिन इसका उत्पादन या वितरण अवैध है। उसमें से एक है पोर्नग्राफी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पोर्न फिल्में और बाल पोर्नग्राफी देखने में भारत सबसे आगे है। 2017 के एक सर्वे के अनुसार, 1300 मिलियन जीबी डाटा केवल एडल्ड कंटेंट डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं भारत में 50 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट है। जिस पर 49.9 फीसदी लोग केवल पोर्न देखने के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं 13 करोड़ बच्चों के पास फोन है। अपराध के लिए फोन के बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। पोर्नग्राफी देखकर बलात्कार करने वाले आरोपियों की भी संख्या कम नहीं है, कम उम्र की बच्चियों के साथ की जाने वाले हैवानियत के पीछे ज्यादातर पोर्न फिल्मों का हाथ है जो खत्म होती मानवता के एक मजबूत बल के साथ हमें बर्बाद करने के लिए काफी है।

दम तोड़ती सरकारी योजनाएं

निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक कोष की जरूरत महसूस की गई। तब उस वक्त की यूपीए सरकार ने 2013 के बजट में निर्भया फंड की घोषणा की। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने शुरुआती तौर पर 1000 करोड़ का आवंटन भी किया। 2014-15 और 2016-17 में एक-एक हजार करोड़ और आवंटित किए गए। ये पैसा आवंटित तो हो गया, लेकिन सरकार इसे खर्च नहीं कर पाई। गृह मंत्रालय द्वारा इस फंड के लिए आवंटित धन का मात्र एक फीसदी खर्च होने की वजह से साल 2015 में सरकार ने गृह मंत्रालय की जगह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को निर्भया फंड के लिए नोडल एजेंसी बना दिया। निर्भया फंड के तहत पूरे देश में दुष्कर्म संबंधी शिकायतों और मुआवजे के निस्तारण के लिए 660 एकीकृत वन स्टॉप सेंटर बनने थे। जिससे पीड़िताओं को कानूनी और आर्थिक मदद भी मिले और उनकी पहचान भी छिपी रहे साथ ही सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सीसीटीवी कैमरे लगने थे। जिससे अपराधी की पहचान की जा सके लेकिन ऐसा कुछ नहीं ये सरकारी योजनाएं केवल दम और पीड़िता का हौसला तोड़ती ही मात्र नजर आई। दरअसल निर्भया फंड इसलिए भी असफल माना गया क्योंकि इस फंड से तीन मंत्रालय गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और महिला एवं विकास मंत्रालय जुड़े हैं। इसे लेकर भ्रम की स्थिति है कि किसे क्या करना है। हालांकि केंद्र सरकार इस फंड में धन मुहैया करा रही है, लेकिन राज्य सरकारों को यौन हिंसा संबंधी मुआवजा कब और किस चरण में देना है इसे लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

सबसे निराशाजनक यह कि टेलीविजन पर सर्वाधिक देखे जाने वाले सीरियलों में महिलाओं द्वारा महिलाओं के खिलाफ साजिशों को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है जिससे मानसिकता प्रभावित हो रही है। ऐसी ही कई घटनाएं पढ़ने में भी आती है सौतली मां ने पति का बदला बेटी से लेने के लिए उसका रेप करवा दिया या मार दिया।

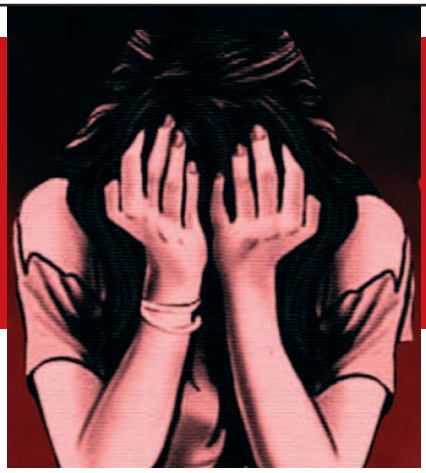

सुरभी और सुधा जैसी परेशानी आज हर घर की कहानी बन चुकी है। हम जिस सभ्य समाज में रह रहे हैं वहीं समाज एक भ्रम में जीने को मजबूर है। समाज का भद्दा नजरिया यह भी है कि लड़कों और लड़कियों की परवरिश में अंतर करना। इसके लिए केवल लोग जिम्मेदार नहीं है। इससे वह तंत्र भी खराब है जिसमें सिर्फ औरत को सेक्स करने का समान माना जाता है। अंगुलियों पर गिना शुरू करेंगे तो भी आपको याद आ ही जाएगा कि आज टीवी, अखबारों, फिल्मों और सोशल मीडिया आदि पर महिलाओं की छवि किस कदर दिखाई जाती है। कामुक विज्ञापनों में महिलाओं को 'खूबसूरत वस्तु' की तरह पेश किया जाता है। जब तक यह मानसिकता नही सुधरेगी तब तक अनुकूल परिणाम सम्भव नही। फिर चाहें आप हाथों में कितनी भी मोमबत्तियां लेकर खूब ले इसका कोई फायदा नहीं होगा। सबसे निराशाजनक यह कि टेलीविजन पर सर्वाधिक देखे जाने वाले सीरियलों में महिलाओं द्वारा महिलाओं के खिलाफ साजिशों को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है जिससे मानसिकता प्रभावित हो रही है। ऐसी ही कई घटनाएं पढ़ने में भी आती है सौतली मां ने पति का बदला बेटी से लेने के लिए उसका रेप करवा दिया या मार दिया। ये सब अपराध एक प्रगतिशील देश की मरती मानवता को उजागर करते हैं। हमारे समाज का एक तबका बलात्कार की घटनाओं पर धर्म का चोगा पहनाने से बाज नहीं आता शायद उन्हें पहले संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। 'Conflict Related Se&ual Violence' नामक इस रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई है कि आंतरिक कलह या आंतकवाद जनित युद्ध के दौरान यौन हिंसा को योजनाबद्ध तरीके से हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की प्रवृति किस तेजी से बढ़ी है। गृह युद्ध और आतंकवाद से जूझ रहे 19 देशों से जुटाए आंकड़े बताते हैं कि इन क्षेत्रों में बलात्कार की घटनाएं छिटपुट नहीं बल्कि सोची-समझी सामरिक रणनीति के तहत हो रही हैं। सामूहिक बलात्कार, महीनों तक चले उत्पीड़न और यौन दास्तां से जन्में बच्चे और बीमारियां एक नहीं कई पीढ़ियों को खत्म कर रहे हैं। इन घृणित साजिशों के पीछे की बर्बरता को हम और आप पूरी तरह महसूस भी नहीं कर सकते।

लड़ाई बहुत लंबी है

खत्म होती इंसानियत की लड़ाई लंबी है। कब तक हम हाथों में मोमबत्ती लिए इंसाफ की मांग सड़कों पर करते रहेंगे। महिलाओं के सम्मान के लिए उनकी सुरक्षा के लिए हमारे समाज को उनके प्रति सोच बदलनी होगी। हमें ये मानना होगा कि महिलाएं किसी अपरिचित से कम परिचित के शोषण का शिकार ज्यादा होती है। ये घटना दर्शाती है कि हमारा सभ्य समाज में जीने का दावा पूरी तरह से गलत है। आदिम समाज से उपर उठने की बात बेमानी होती जा रही है। कहने को साक्षरता का स्तर बढ़ा है, साधन संपन्नता बढ़ी हैं। सुविधाओं का विस्तार हुआ है, जीवन सहज, और अधिक आसान हुआ है पर मन में दबे हैवानियत में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। और ये बीमारी कानून और इंसाफ की गुहार से नहीं बल्कि अपनी गंदी सोच बदलने के बाद संभंव हो पाएगी। जब तक ये नहीं होगा ये लड़ाई ऐसे ही लंबी चलती जाएगी।

चिकित्सक और मरीज

मानवता की सेवा या अमानवीय अपराध

चिकित्सक, जिसे धरती पर ईश्वर का रूप माना जाता था और फिर ऐसा क्या हुआ जो यह ईश्वर का रूप लोगों की नजरों में इंसान भी न रहा, एक हैवान हो गया। किसी भी रिश्ते में कोई बड़ा परिवर्तन किसी एक घटना या एक दिन में नहीं आता। इसके जिम्मेदार कई लोग और कई घटनाएं होती है, जिनकी लगातार नजरअंदाजी का नतीजा सब को भुगतना पड़ता है। आज के विषय पर भी ये सभी बातें लागू होती हैं। भारतवर्ष की संस्कृति विश्व में अन्य क्षेत्रों की ही भांति चिकित्सा क्षेत्र में भी अग्रणी रही है। आयुर्वेद के जनक धन्वन्तरि, शल्य चिकित्सा क्षेत्र में सुश्रुत तथा आयुर्वेद विशारद चरक के नामों को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। अतएव यह विषय अत्यंत विचारणीय हो जाता है कि वो क्या कारण रहे होंगे कि मानवता की सेवा से जुड़ा सबसे बड़ा कार्यक्षेत्र देश में आज इन परिस्थितियों से जूझ रहा है। किसी भी समस्या के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलुओं से जुड़े दो पक्ष। उन दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं और अपना पक्ष रखने हेतु अपना स्पष्टीकरण भी।

दीपा धवन

चिकित्सकों पर जबरन धन उगाही का आरोप अक्सर लगता रहता है। चिकित्सा व्यवसाय एक ऐसा कार्यक्षेत्र है जिसमें एक बीमारी से जूझता व्यक्ति दोनों पक्षों के बीच की कड़ी होता है। उसके साथ के तीमारदार आशंकित और भयभीत होते हैं। यह उनके व्यवहार में कई बार खीज उत्पन्न करता है और दुर्व्यवहार का कारण भी बनता है। दूसरी ओर एक चिकित्सक होता है जो बिना किसी रिश्ते के भी कर्म की डोरी से मरीज से जुड़ा होता है। एक चिकित्सक होने के नाते मैं ये विश्वास से कह सकती हूँ कि किसी भी मरीज को देखकर उत्पन्न होने वाली पहली भावना उसको अपने ज्ञान के प्रयोग से ठीक करने की होती है न कि उससे पैसा उगाहने की।

समय के साथ मानव की भौतिकवादी मानसिकता में निरंतर वृद्धि हो रही है। चिकित्सा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। एक समय था जब सेवाभाव को सर्वोपरि रखकर केवल मरीज के हित में सोचा जाता था किंतु आज इसका बहुत हद तक व्यवसायीकरण हो चुका है। इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है, बड़े-बड़े शुद्ध व्यावसायिक अस्पतालों ने। ये अस्पताल मुनाफा सोचकर ही खुले होते हैं। शायद इनके लिए मुनाफा सेवा से ऊपर होता है। चिकित्सक यहां मात्र नौकरी पर होते हैं। उन पर प्रबंधन का दबाव सदैव बना रहता है। यही कारण है कि जो इलाज एक छोटे क्लिनिक पर सस्ता होता है, वह कॉरपोरेट अस्पतालों का कद बढ़ने के साथ महंगा होता जाता है।

इसको समझने के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाना होगा। समाज का एक बहुत बड़ा धनाढ्य वर्ग जो पंचतारा संस्कृति से जुड़ा है, वह इलाज के लिए भी पंचतारा सुविधाएं चाहता है। अब यदि एक रोटी ढाबे पर दस रुपये में मिलती है और पंचतारा होटल में पांच सौ रुपये में, तो यह खाने वाले कि मर्जी पर है कि वह कितना पैसा खर्च करने की सामर्थ्य रखता है और कहां खाना पसंद करेगा। यही अंतर अलग अलग अस्पतालों के इलाज में भी आता है। क्योंकि ये पैसा इलाज के अतिरिक्त प्रदान की जा रही अन्य सुविधाओं का कभी होता है।

मेरा ये मानना है कि हम कहाँ जाएंगे और क्या खर्च करेंगे ये हम स्वयं ही तय करते हैं।

दूसरा आरोप मरीज की सही स्थिति को छुपाकर पैसा लेना है।

हर आरोप के दो पहलू होते हैं। यकीनन कुछ अस्पतालों द्वारा तीमारदारों में भय उत्पन्न करके मरीज को गहन चिकित्सा में रखने के नाम पर अतिरिक्त धन लिया जाता रहा है किंतु दूसरी ओर ऐसा चिकित्सक वर्ग आज भी बड़ी संख्या में मौजूद है, जो अकेले या निर्धन व्यक्ति का इलाज एक भी पैसा जमा कराए बिना आरम्भ कर देता है।

यह चिकित्सक की मजबूरी भी कही जा सकती है क्योंकि वह किसी निर्जीव वस्तु के व्यापार से जुड़ा व्यवसायी नहीं अपितु एक जीते जागते इंसान पर अपने जीविकोपार्जन के लिए निर्भर व्यक्ति होता है।

इस आरोप का दूसरा पक्ष यह भी है कि इलाज के समय तीमारदार सब कुछ बताए जाने के बावजूद पैसों का इंतजाम करने की बात कहते रहते हैं और मरीज के ठीक हो जाने पर उनको इलाज पर हुआ खर्च गलत और व्यर्थ लगने लगता है। अक्सर अस्पतालों में तीमारदारों द्वारा की जाने वाली तोड़फोड़ के पीछे यही मंशा होती है कि दूसरे पक्ष को भयाक्रांत करके रह गए पैसे न दिये जाएं।

तीसरा आरोप इलाज में लापरवाही से मरीज की मौत है।

कोई भी चिकित्सक भला स्वयं अपने इलाज में चल रहे व्यक्ति को क्यों मारना चाहेगा। इसके पीछे एक मुख्य कारण होता है बीमारी के आरंभिक दिनों में घरेलू या झोलाछाप मोहल्ले के दवाखानों में इलाज करवाना और जब वो हाथ खड़े कर दें तब जाकर किसी अनुभवी, जानकार चिकित्सक के पास पहुंचना। तब तक मरीज कई बार ऐसी स्थिति में पहुंच चुका होता है उसका बचना असंभव हो जाता है। तब आक्रोश का शिकार बनता है वह चिकित्सक जो मरीज की इस स्थिति का जिम्मेदार ही नहीं है। अर्थात् करे कोई और भरे कोई। एक और और आरोप है अमानवीयता का। आरोप लगाये जाते हैं कि मृत व्यक्ति को वेंटिलेटर जैसे उपकरणों पर रख कर अनाप शनाप पैसे वसूले जाते हैं। इस बात को समझना आवश्यक है कि ये सब जीवन सहायक उपकरणों (लाइफ सपोर्ट सिस्टम) के नाम से जाने जाते हैं और तभी प्रयोग में लाये जाते हैं जब इनके बिना जीवित न रह पाने का अंदेशा हो। यह सभी उपकरण अत्यधिक महंगे होते हैं अत: इलाज में भी खर्च काफी करना पड़ता है। इन सब पर तीमारदारों से लिखित में अनुमति लेकर ही मरीज को रखा जाता है और कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि जब तक ये उपकरण हैं, तभी तक जीवन भी। उस स्थिति में भी बिना लिखित अनुमति के मरीज इनसे हटाया भी नहीं जाता है। यह निर्भर करता है मरीज के तीमारदारों के मन और आर्थिक स्थिति पर कि वो ऐसे मरीज को कब तक इन उपकरणों के सहारे रखना चाहते है। यहां भी सिक्के के दोनों पहलू हैं। अच्छे और बुरे लोग चिकित्सकों के बीच भी हैं और तीमारदारों में भी।

एक बड़ा अपराध है मानव अंग तस्करी का जो सालों से दोनों ही पक्षों की जानकारी में होता है और बिचौलियों के माध्यम से वर्षों से होता चला आ रहा है। पैसों के लिए लोगों का अपना गुर्दा बेच देना शायद हम के वर्षों से सुनते आ रहे है। इससे अधिक शर्मनाक कृत्य एक चिकित्सक के लिए और कुछ नहीं हो सकता शायद।

अब एक ज्वलंत समस्या के बारे में बात करते हैं। यह मुद्दा है अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग निर्धारण तथा उसके जांच में लड़की पाए जाने पर चिकित्सकों द्वारा कराए जाने वाले गर्भपात का। यह एक देशव्यापी समस्या है और लिंगानुपात को बिगाड़ रहा है। इस अमानवीय अपराध में लिप्त चिकित्सक निश्चित रूप से निंदनीय हैं।

इस कार्य के लिए कठोर कानून हैं। इस कार्य में लिप्त पाए जाने वाले चिकित्सक की मान्यता रद्द करने, उस अल्ट्रासाउंड क्लिनिक को तालाबंद करने जैसे नियम भी हैं। किन्तु मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा करने वाले चिकित्सक ही दोषी हैं?क्या मात्र उनको ही कानून के घेरे में आना चाहिए? उन लोगों का क्या जो बेटे की चाह में स्वयं लिंग निर्धारण के लिए जाते हैं। यह बात भी जान लेनी चाहिए कि गर्भपात एक छोटी शल्यक्रिया है जिसे कोई भी चिकित्सक बिना मरीज के तीमारदारों की लिखित अनुमति के नहीं कर सकता है। फिर कौन सा पक्ष दोषी हुआ? एक या दोनों? दोषी है उन लोगों की मानसिकता जो बेटे की चाह में न जाने कितनी बेटियां पैदा करके बैठे होते हैं या फिर इस अपराध का रास्ता अपनाते हैं।

जहां तक कानून की बात है, वह दोनों ही पक्षों के लिए हैं। इलाज में बरती लापरवाही, प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण तथा गर्भपात, मानव अंग तस्करी जैसे मानवता से जुड़े चिकित्सा अपराधों के लिए चिकित्सकों के लिए सजा का कानून है तो दूसरी तरफ तोड़ फोड़ करने, संपत्ति का नुकसान करने, चिकित्सक या उनके कर्मचारियों से मारपीट के लिए बने कानून में तीन साल तक की कैद और पचास हज़ार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान दूसरे पक्ष के लिए भी हैं। किन्तु किसी भी लकीर को खींच कर अच्छे और बुरे को अलग नहीं किया जा सकता। हर समस्या की जड़ में दो पक्ष होते है। दोनों ही पक्षों में ईमानदार ,सज्जन और सुलझे हुए लोग भी होते हैं और दुर्जन प्रवत्ति वाले भी। सबको एक ही नज़र से नहीं देखा जा सकता।

ये सच है कि समय के साथ चिकित्सकों और मरीजों के संबंध लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। दोनों ही पक्षों से अपेक्षित है कि दूसरों पर उंगली उठाने के बदले पहले कारणों का विश्लेषण किया जाए, अपने भीतर सुधार लाया जाए, नियमों और कानून की हदों में रहकर आचरण किया जाए और परस्पर मृत प्राय: विश्वास को पुनर्जीवित करने के यथासंभव प्रयास किए जाये।

अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग निर्धारण तथा उसके जांच में लड़की पाए जाने पर चिकित्सकों द्वारा कराए जाने वाले गर्भपात का। यह एक देशव्यापी समस्या है और लिंगानुपात को बिगाड़ रहा है। इस अमानवीय अपराध में लिप्त चिकित्सक निश्चित रूप से निंदनीय हैं।

पुनर्वास-कितना आसान कितना मुश्किल

हाल में ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोहिंग्या मुस्लिम लोगों को लेकर दिए गए अहम फैसले के अनुसार भारत से सात रोहिंग्या लोगों को वापस भेजा गया था, इस फैसले में इन सात लोगों को विदेशी कानून के उल्लंघन के आरोप में 29 जुलाई, 2012 को गिरफ्तार किया गया था और इनके नाम मोहम्मद जमाल, मोहबुल खान, जमाल हुसैन, मोहम्मद युनूस, सबीर अहमद, रहीमउद्दीन और मोहम्मद सलाम है और इनकी उम्र 26 से 32 वर्ष के बीच है। भारत के लिए इस तरह का फैसला लेना और इसको अमल में लाना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि हम तो सदैव ही वसुधैव कुटुम्बकम की परम्परा को मानते आये हैं और अपनी शरण में आये हुए लोगों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते हैं। इस तरह के फैसले का स्वागत करना और बहिष्कार करना दोनों ही मामले एक भारतीय के नजरियें से आवश्यक हैं।

भारत में शरणार्थियों के रूप में सिर्फ रोहिंग्या ही नहीं हैं, उनके अलावा भी हमारा देश-दुनिया में बहुत से लोगों के लिए शरणस्थली के रूप में रहा हैं और यहाँ पर सबको एक जैसा प्यार मिला है। इतिहास में जाये तो आर्य, मुस्लिम, पारसी और ईसाई आदि यहां आकर बस गए और यही के होकर रह गए। यहां पर बसने वालों ने भी इस धरती को अपनी मां माना और इसके विकास एवं उत्थान के लिए भरकस प्रयास किये।

शरणार्थियों की इस कहानी में समय के साथ बहुत बदलाव हुए हैं। आजादी के समय से शरणार्थियों की परिभाषा और परिस्थितियां बदली हैं और भारत में अन्य देशों से विस्थापित होकर बसने वालों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ हैं।

भारत पाक बंटवारा

आजादी के समय 1947 से ही हम यह सब देख रहे है, पाकिस्तान के बंटवारे के साथ ही हमको दंगे और दंगा प्रभावितों का दर्द मिला हैं। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 3.5 लाख हिंदू और सिक्ख लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ आने को मजबूर हुए वहीं लगभग इतने ही लोग पूर्वी पाकिस्तान से भी भारत में आकर शरणार्थी बनने को मजबूर हुए थे। ऐसा नहीं है कि भारत में ही शरणार्थी आयें, इस समय भारत से पाकिस्तान में भी बहुत से मुस्लिम परिवार पलायन कर गए थे लेकिन इनकी संख्या भारत आने वालों की अपेक्षा बहुत कम थी।

बांग्लादेशी शरणार्थी

हालांकि यह संख्या तो 1947 से भी हमारे देश में थी क्योंकि बंटवारे के समय पूर्वी बंगाल की जनसंख्या में लगभग 30 प्रतिशत हिंदू थे, जिनकी संख्या लगातार वहां पर घटती रही और भारत में यह संख्या बढ़ती रही। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश से यहां पर सिर्फ हिंदू परिवार आये, इस पलायन में बहुत बड़ी संख्या बांग्लादेशी मुस्लिम की भी थी। 1971 के समय में वहां पर हो रहे दमन के कारण भारत ने अपनी विदेशी सीमा खोल कर वहां से आने वाले लोगों को पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा में शिविर लगाकर बसाया गया। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 10 मिलियन बांग्लादेशी भारत में आकर बस गए।

तिब्बती शरणार्थी

सन् 1959 में तिब्बत के विद्रोह के पश्चात् लगभग 15,00,000 तिब्बती लोगों ने भारत में आकर शरण ली और अभी भी लगभग 13,00,000 तिब्बती भारत के अलग - अलग राज्यों में रह रहे है और हमारी सरकार राज्यों सरकारों के साथ मिलकर उनके पुनर्वास, शिक्षा और रोजगार के लिए प्रयासरत हैं। हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक में इनके लिए विशेष योजना और अभियान चलाए गए हैं । हालांकि तिब्बती भारत में परमिट के साथ रहते हैं जिसे पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) नामक दस्तावेज के माध्यम से संसाधित किया जाता है। यह हर साल या कुछ क्षेत्रों में छः माह से नवीनीकृत किया जाता है। 16 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक तिब्बती शरणार्थी को यहां रहने के लिए परमिट चाहिए जिसके लिए उसको पंजीकरण करना होता हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नए आने वाले शरणार्थियों को पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जारी नहीं किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा एक साल के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) के पश्चात् तिब्बती नागरिकों को भारतीय पहचान प्रमाण पत्र (पिली किताब) जारी करती है जो इन तिब्बती लोगों को विदेश यात्रा करने की अनुमति मिलती हैं।

अफगान शरणार्थी

सोवियत संघ और अफगान के बीच चले दस वर्षीय संघर्ष के कारण लगभग 60000 अफगानी लोगों ने भारत में आकर शरण ली लेकिन भारत सरकार ने कभी अधिकारिक रूप से इनको शरणार्थी के रूप में स्वीकार नहीं किया परन्तु संयुक्त राष्ट्र द्वारा इनके पुनर्वास के लिए चलाए गए एक कार्यक्रम को चलाने की अनुमति देकर लगभग अपनी मौन स्वीकृति दे दी ।

पाकिस्तानी शरणार्थी

भारत के अलग-अलग शहरों में लगभग 400 के बस्तियां है जहां पर पाकिस्तान से आये शरणार्थी रहते हैं। इन शहरों में मुख्यतः गुजरात का अहमदाबाद और सूरत एवं राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर प्रमुख हैं। इन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए भी बहुत से प्रयास हो रहे हैं और 2015 में भारत सरकार द्वारा लगभग 4300 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता भी दी गयी जिनमे ज्यादातर पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी हिंदू एवं सिक्ख परिवार थे।

श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी

दक्षिण भारत में खास तौर से तमिलनाडु में श्रीलंका में आतंकवाद के उदय के साथ वहां से भारत में आकर बसने वालों की संख्या लगभग 100000 हैं और इनका बहुत सारे शहरों में अच्छा प्रभाव हैं। तमिलनाडु के साथ - साथ कर्नाटका और केरल के कुछ प्रमुख शहरों में इनकी बस्तियां हैं और यह सब वहां की राजनीति और अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा हैं ।

कश्मीरी पंडितों का विस्थापन

आंकड़ों के अनुसार 1990 में कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की संख्या लगभग 1,70,000 थी जो अब लगभग 2000 से 3000 के बीच रह गई हैं। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर यह सब लोग कहां गए और क्यों गए? भारत सरकार के आंकड़ों की माने तो 60000 परिवार पलायनवादी परिवार के रूप में पंजीकृत है जो जम्मू के साथ-साथ दिल्ली एवं अन्य पड़ोसी राज्यों में रहे हैं ।

रोहिंग्या शरणार्थी

हाल में बहुचर्चित रोहिंग्या मुस्लिम को शरणार्थियों के रूप में कैसे कोई भूल सकता हैं। यह म्यांमार के अरकान प्रदेश से आये हुए है और भारत में लगभग 60000 के आसपास दिल्ली, हैदराबाद, कश्मीर, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में रोहिंग्याओं की एक बड़ी संख्या शरणार्थी के रूप में निवास कर रहे हैं ।

अपने ही घाव जो गहरें हैं

अभी तक हमने बात करी उन शरणार्थियों की जो बाहर से हमारे देश में आकर रह रहे हैं परन्तु कुछ घाव ऐसे भी है जो हमारे अपने अन्दर के ही हैं अर्थात् भारत में ही भारतीयों को विस्थापित होना पड़ा हैं। जहाँ हम बात करते है कि हमारी परम्परा रही है कि जो भी हमारी शरण में आया उसका हमने बहुत अच्छे से ख्याल रखा हैं वहीं पर कुछ आंतरिक जख्म ऐसे है जो नासूर हो चुके हैं। आईडीएमसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दंगों की वजह से लगभग 1,66,000 लोग विस्थापित होते हैं जो इन राहत शिविरों की संख्या और प्रबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती हैं। भारत के दृष्टिकोण से विस्थापितों की संख्या को बढ़ाने में मानसून का भी बहुत बड़ा हाथ हैं।

बिहार/ केरला के बाढ़ विस्थापित

अभी आपने केरल की बाढ़ के बारें में तो सुना ही होगा कि जन-धन की जबरदस्त हानि हुई और हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए। लोगों को सर ढकने को जगह नहीं बची थी और उनको शरणार्थी बनकर राहत शिविर में रहना पढ़ रहा हैं, केरल सरकार के लिए इन सब का पुनर्वास करना बहुत बड़ा काम हैं। इसी तरह से बिहार की बाढ़ को भला कोई कैसे भूल सकता है। 2016 में बिहार की बाढ़ को विस्थापितों की संख्या के अनुसार दुनिया की चौथी सबसे बड़ी त्रासदी माना गया। इस बाढ़ से लगभग 16,00,000 लोगों प्रभावित हुए थे। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ 2016 में ही हुआ था, बिहार का लगभग ऐसा ही हाल हर मानसून में रहता है और इसका असर झारखंड और बंगाल तक भी जाता हैं जिनसे लाखों की संख्या में लोग प्रभावित होते हैं ।

कैराना की कहानी

अगर विस्थापितों की बात हो और उत्तरप्रदेश के कैराना का नाम ना आये यह संभव नहीं हैं। उत्तरप्रदेश के विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा बहुत जबरदस्त चला था। इस सम्बन्ध एनएचआरसी की रिपोर्ट के अनुसार एक धर्म के 346 परिवारों को अन्य धर्म के लोगों की वजह से अपना सब कुछ छोड़ कर दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ा। इस रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरपुर के दंगों की वजह से लगभग 25,000 लोगों को अपना क्षेत्र छोड़ कर कही और विस्थापित के रूप में नया जीवन शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हमारे यहाँ ऐसे ही दंगे अक्सर होते है जिनकी वजह से हजारों परिवारों का सबकुछ तबाह हो जाता है।

सरकारी नौकरी के लिए आवश्यक
RKCL
RS-CIT एक परिपूर्ण कम्प्यूटर कोर्स
नया पैटर्न RS-CIT क्लास 2018
उज्जवल भविष्य का सार.....
सफलता का प्रवेश द्वार
SOLVER SOLUTION
COMPUTER CENTER
All Accounting Software
TELLY, BUSY, MARG, SOLVER SOLUTION, FATEX
RS-CIT HINDI-ENGLISH TYPING
RS-CIT कम्प्यूटर कोर्स ही क्यों
◆ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा परीक्षा एवं प्रमाण पत्र।
◆ राज्य सरकार की अनेक सरकारी नौकरीयों में एक आवश्यक पात्रता।
◆ सरकारी कर्मचारियों के फीस का पुनर्भरण प्रोत्साहन राशि के साथ नियमानुसार।
◆ सीखें इन्टरनेट के 150 से अधिक उपयोग।
◆ वेबक्रेम इन्टरनेट व इन्ट्रानेट से सुसज्जित अत्याधुनिक कम्प्यूटर लैब।
VINOD GHORELA 95871-73111
KULDEEP SINGH 97723-12004
HARJINDER SINGH 93524-81061
अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें।
Shree Munda Dham Computers
नजदीक पंचायत समिति हनुमानगढ़ 9587173111
गली नं. 1, नई आबादी ओवर ब्रिज के पास, हनुमानगढ़ टाऊन

सरदार सरोवर विस्थापित

गुजरात की बहुउद्देश्यी परियोजना सरदार सरोवर बांध जिस से गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य को फायदा होना तय हैं, यह परियोजना भी विस्थापितों के लिहाज से बहुत चर्चा में रही हैं । सरकारी आंकड़ों के अनुसार 40827 परिवार के लाखों लोगों को पुनर्वास करवा दिया हैं लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के अनुसार 192 गांवों के लगभग 40000 परिवार अभी भी अपने पुनर्वास के लिए सरकार का इंतजार कर रहे हैं जिनमें अधिकतर परिवार मध्यप्रदेश के आदिवासी हैं। कुल मिलकर देखे तो इस परियोजना ने लगभग 25,00,000 लोगों को प्रभावित किया हैं।

बिहारी विरोधी दंगे

2008 में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के लोगों ने रेलवे परीक्षा के लिए बिहारी छात्रों पर हमला किया था जिसके बाद स्थिति भयानक हो गयी थी और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विलासराव देशमुख से स्थिति को नियंत्रण करने के लिए निवेदन करना पड़ा था । इन दंगों की वजह से कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा तो बहुत से लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा। रातों रात अपना बसा-बसाया घर और व्यापार महाराष्ट्र में छोड़कर जाने वालों में सबसे ज्यादा संख्या बिहार और उत्तरप्रदेश के लोगों की थी। इन में से बहुत से लोग तो महाराष्ट्र में विस्थापित का जीवन ही बिता रहे थे ।

उत्तर पूर्व राज्यों में अन्य राज्यों के लोगों के खिलाफ विरोध

उत्तर पूर्व राज्यों में भी बिहार समेत अन्य राज्यों से बहुत से लोग मजदूरी और व्यापार के लिए रहने जाते हैं। असम में उल्फा उग्रवादियों द्वारा बिहारियों पर संस्कृति और भाषा को ख़राब करने का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू हुआ जो बाद में भयानक रूप लेते हुए उत्तरपूर्व के अधिकतर राज्यों में बिहारी, बंगाली और मारवाड़ी परिवारों के लिए आफत बन गया और लगभग 10000 परिवारों को विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ा था ।

गुजरात में हिंसा

गुजरात में एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के पश्चात् कुछ क्षेत्र विशेष के अधिकतर लोगों के साथ जो हुआ वह उनके गुजरात छोड़ने के लिए काफी था। दो चार दिन में ही हजारों की संख्या में लोग गुजरात छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस घटना की वजह से दो राज्यों के लोगों को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया जिसकी वजह से रातोंरात हजारों लोगों को गुजरात छोड़ना पड़ा। हमारे नेताजी सिर्फ यह बहस करते नजर आये कि यह दिवाली की वजह से हुआ या दंगों के कारण, साथ ही अधिकतर दूसरी पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार बतलाते नजर आ रहे थे। खैर छोड़िए यह आज की समस्या नहीं है हमारे देश के बदन पर तो इस तरह के ढेर सारे जख्म है, जिनको चुनावी मौसम में कुरेदने और मरहम लगाने की पुरानी परम्परा है।

वास्तव में अगर हम हमारे यहां पर बसे विदेशी शरणार्थियों की बात करें और अपने ही देश के बाढ़ और दंगों से प्रभावित विस्थापितों को भूल जाये तो बहुत गलत होगा। वास्तव में हमारी पुरानी का निर्वहन भी आसान होता मगर इन में से कुछ लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का संचालन भी करते हैं जो सम्पूर्ण राष्ट्र को खोखला करने के लिए काफी हैं। इन सभी का सार यह है कि पहले हम अपने विस्थापितों को ढंग से बसा ले, उनके अधिकार उनको दिला दे, उसके बाद हम अन्य लोगों की सोचेंगे। वैसे भी हमने इन शरणार्थियों को बसाने में बहुत कुछ खोया है जिसमे एक पूर्व प्रधानमंत्री भी शामिल हैं तो इस बार पुरानी परम्परा को खो कर राष्ट्र निर्माण का पक्ष मजबूत करें। मानवीयता के पहलू से देखे तो शरणार्थियों को वापस भेजना उचित कदम नहीं होगा क्योंकि वह सभी वहां से परेशान होकर हमको दयावान समझ कर हमारी शरण में आये थे, उनको हम से बहुत उम्मीद है परन्तु उनको यह भी समझना होगा कि हमारी भी मजबूरियां हैं पहले हम अपने घर की आग तो बुझा ले फिर पड़ोसी के घर भी पानी डाल देंगे ।

कन्या भ्रूण हत्या मानवता के लिए अभिशाप

भारत एक पुरुष प्रधान देश है जहां पर लड़की शादी से पहले अपने पिता और भाई की बातें मानती है, शादी के बाद अपने पति और बुढ़ापे में बेटे की। कन्या भ्रूण हत्या आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण लिंगानुपात में भारी गिरावट हुई है। कन्या भ्रूण हत्या का तात्पर्य कन्याओं को गर्भवती महिला के भ्रूण में ही मारना है। यह केवल एक समस्या ही नहीं बल्कि एक घिनौना अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या लोगों की संकुचित मानसिकता की उपज है। लोग लड़कियों को बोझ समझते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। जहां एक तरफ समाज में लड़कियों को देवी की तरह पूजा जाता है वहीं दूसरी तरफ उन्हें जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। कुछ लोग आर्थिक तंगी के चलते उनकी शादी में दहेज में देने वाले दहेज के बारे में सोचकर ही उन्हें गर्भ में मार देते हैं।

सरकार ने इस बढ़ते हुए खतरे को रोकने के लिए बहुत से कानून लागू किए है जिसके अंतर्गत गर्भ में लिंग जांच पर प्रतिबंध लगाया है। अगर गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला की जान को खतरा है तभी वह गर्भपात करवा सकती है। सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा यह समस्या निजी स्तर से शुरू हुई है तो इसे रोकना भी हमें ही होगा। समाज को लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना बंद करना होगा।

क्या कहते है आंकड़े

बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के अनुसार दुनिया के कुछ संपन्न देशों में महिलाओं की स्थिति के बारे में हुए एक शोध में भारत आखिरी नंबर पर आया है। सर्वेक्षण कहता है कि कई मामलों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाज में स्वीकार्य भी समझा जाता है। इसमें एक सरकारी अध्ययन का उल्लेख किया गया है जिसमें 51 प्रतिशत पुरुषों और 54 प्रतिशत महिलाओं ने पत्नियों की पिटाई को सही ठहराया था।

भारत में वर्ष 1990 में प्रति 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थी, वर्ष 1991 में महिलाओं की यह संख्या घटकर 927 हो गई। वर्ष 1991-2011 के बीच महिलाओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2011 की जनगणना में प्रति हजार पुरुषों पर 940 महिलाएं हो गई। सामाजिक संतुलन के दृष्टिकोण से देखें, तो यह वृद्धि पर्याप्त नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2013 में भारत में कन्या भ्रूण हत्या के कुल 217 मामले दर्ज किए गए।

मानसिकता बदलनी होगी

हम सब लोग जानते है, कि बच्चों के साथ अनेकों प्रकार अपराध हो रहा है लेकिन आपकी मानवता किस कोने में छिपी है जो ये सब देख नहीं पा रही। यह चिंता का विषय है। समाज के साथ-साथ परिवार में भी विकृति आ रही है। बच्चों के साथ हो रहे अपराधों को रोकने में कानून के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति एवं समाज को भी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन करना होगा। कन्या भ्रूण हत्या' रोको जैसे नारे लगाने से यह काम रुकने वाला नहीं है भले ही कितनी ही राष्ट्रभक्ति या भगवान भक्ति की कसमें खिलाते रहें।

अनेक धार्मिक संत अपने प्रवचनों में भी यही मुद्दा उठा रहे हैं। अक्सर वह लोग कहते हैं कि 'हमारे यहां नारी को देवी की तरह माना जाता है'। शायद लोगों को पढ़कर ना अच्छा लगे मगर यही सच की नारी को घर की इज्ज़त कहा गया मगर उसे इज्जत दी नहीं गयी।

धर्म अनेक औरत की स्थिति एक

सबको लड़का चाहिए मगर ये भूल जाते है कि ये की लड़का भी एक औरत ही पैदा करेगी और जन्म देने वाले को भी जीने का हक है। महज नारी को देवी कह देने से नवरात्रि में व्रत रख लेने से और सिर्फ कह देने से की लड़का और लड़की एक समान हैं, नही चलेगा। महज ये कह देने से की लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए हमे लोगों की नही अपनी खुद की सोच बदलनी पड़ेगी। शायद यहां (भारत) के लोगों की मानसिकता की वजह से ही आज हमारा देश विकासशील है विकसित नही। संस्कृति और समाज के तमाम जुमले छोटी सोच की निशानियां हैं। औरतों को भी चाहिए कि वो कभी ऐसे पाप में साथ न दे अपनी ही बच्चियों को ना मारें याद रक्खे की खुद भी औरत है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए सोच बदलो इंडिया।

अंत हूं, आरम्भ हूं,
जननी मैं, संहारक हूं।

कल्पना
(खूबसूरत ख्याल)

खून का रंग देख और बता कौन हिन्दू कौन मुसलमान!

मर रही है मानवता और मर रहा है इंसान
मासूमों से ही जब हिन्दू मुसलमान कराओगे
तो फिर इंसानियत को कैसे बचाओगे

1947 में जब बंटवारा हुआ था उस वक्त के गवाह बुजुर्ग जब कभी भी मुझे उस वक्त की बात बताते थे, मुझे लगता था कि मैं होता तो शायद इस बंटवारे को होने नहीं देता। मैं इस बंटवारे को रोक सकता था, और आज के समाज का मेरे जैसा हर एक युवा यही सोचता है कि उस वक्त उन लोगों का शायद जेहन काम नहीं कर रहा होगा जो देश के दो टुकड़े करने पर आमादा थे। हालांकि कारण तो बहुत से रहे होंगे लेकिन आज की पीढ़ी को हिन्दू-मुसलमान होने से पहले इंसान होना ज्यादा पसंद है ऐसा मुझे लगता था। लेकिन मेरी आंखें देश की राजधानी दिल्ली की एक घटना ने शायद खोल दी है। मैं सोच रहा था कि शायद मेरे देश में अब लोग पुरानी पीढ़ी के हिसाब से नहीं बल्कि विकास और उन्नत्ति के मुताबिक चलना चाहते है। किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने बच्चों को सबसे पहले स्कूल में पढ़ने भेजते हैं क्योंकि वहां उन्हें सिखाया जाता हैं कि देश सर्वोपरि है मजहब-जात का हिसाब ही ना लगाया जाए। लेकिन एक सवाल ने यहां जन्म लिया है कि आखिर जब शिक्षा के मंदिर में धर्म के नाम पर मासूम बच्चों को बांटा जाता है तो मानवता जिंदा कैसे रह सकती है। ऐसा ही माजरा देखने को मिला दिल्ली के एम.सी.डी. के एक स्कूल में जहां स्कूल के प्रधानाचार्य ने बच्चों के सेक्शन सिर्फ इस बुनियाद पे बांटे की हिन्दू कौन है और मुस्लिम कौन है। मेरी नजर में ये बंटवारा भी 1947 के बंटवारे से कम नहीं था क्योंकि उस वक्त भी कुछ लोगों की बेवकूफी के वजह से हिन्दू-मुस्लिम के बुनियाद पर देश को दो टुकड़ों में बांट दिया गया था। इंसानियत वहां भी मर गयी थी इंसानियत यहां भी मरी हुई दिखाई दी है। हिंदुस्तान के संविधान के पहले पेज को देखते ही समानता और महत्वत्ता दोनों दिखाई देती है, संविधान हमें बताता है की सब एक सामान है किसी में कोई फर्क नहीं है। जब हिन्दू-मुस्लिम में भारत का संविधान फर्क नहीं कर रहा हो तो प्रधानाचार्य को किसने अधिकार दिया कि वो बच्चों को मजहब के तराजू में तोल कर बांट दे।

ये सिर्फ बच्चों को अलग-अलग बिठाने का मुद्दा नहीं है ये मुद्दा है सोच का, ये मुद्दा है मर रही मानवता का और ये मुद्दा है छोटे-छोटे मासूम बच्चों के जेहन में जहर घोलने का वो भी उस उम्र में जब वो ये भी नहीं जानते होंगे कि आखिर राम और रहीम का मजहब क्या था।

प्रधानाचार्य के मुताबिक उन्होंने रेंडमली ही ऐसा किया है, सिर्फ एक तरफ से बच्चों को उठा कर सेक्शन बनाये हैं, उनका कोई और मक़सद नहीं था लेकिन क्या जिस वक्त बच्चों के सेक्शन बांटे गए थे उस वक्त बच्चे मजहब के हिसाब से ही बैठाए गए थे! बच्चों से बात की गई तो पता चला कि उनको तो ये भी नहीं पता कि उनमें और बाकी बच्चों में फर्क क्या है, यहां तक कि बच्चे दुखी थे क्योंकि उनके दोस्त दूसरे सेक्शन में भेज दिए गए थे।

अब सवाल ये है कि आखिर जिस उम्र में बच्चों के दिमाग में एकता, लक्ष्य, और सपने होने चाहिए क्या इस बंटवारे से उनके दिमाग में हिन्दू-मुस्लिम ही भर कर ना रह जाएगा।

मैं ये नहीं चाहता कि इस बात को लेकर सियासत अपने पैर पसारे लेकिन मैं चिंतित हूँ क्योंकि अगर एक स्कूल की पहल पर बाकी स्कूलों ने भी ये करना शुरू कर दिया तो मानवता जो आज सिसकियों के साथ धीरे-धीरे मर रही है वो एक झटके में खत्म हो जाएगी।

बंटवारा जब-जब भी हुआ है तब-तब इंसानियत को मरते हुए देखा गया चाहे 1947 का बंटवारा हो या किसी राज्य का बंटवारा हो या फिर किसी स्कूल का, हर बार लोगों की उम्मीदें टूटी हैं, हर बार रिश्ते टूटे हैं, हर बार संबंध खराब हुए हैं क्योंकि बंटवारा वो बला है जो ना केवल मानवता को मारता है बल्कि नारियल और खजूर को भी बांट देता है। बार-बार मैंने मानवता को मरता हुआ बताया है क्योंकि आजकल अगर किसी को मदद की जरूरत पड़ जाए ना तो जाति और मजहब देखकर मदद की जाती है वो भी अगर किसी की इंसानियत जाग जाए तो।

बेहरमी से कत्ल किये जाते हैं, बलात्कार किये जाते हैं, चोरी डकैती की जाती है उसके बाद भी लोगों की मानवता नहीं जागती बस उसको धर्म के तराजू में तोला जाता है, उसका पोस्टमार्टम जात की मशीन में किया जाता है। बूढ़े मां-बाप को वद्धाश्रम छोड़कर आने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो तब होती हैं जब खुद जाने की नौबत आ जाए। सड़क पर दुर्घटना हो जाए तो मदद के किये कोई आगे नहीं आता, सिर्फ मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाते हैं ताकि सोशल मीडिया पर व्यूज ज़्यादा हो जाए। पड़ोसी घर में भूखा मर जाए कोई नहीं जाएगा लेकिन पड़ोसी कोई कमी मिल जाए तो नीचा दिखाना कोई नहीं छोड़ेगा। ये सब मैन इसलिए कहा है क्योंकि इन सब चीजों को रोकने का एक ही रास्ता है शिक्षा और जब शिक्षा के मंदिर में ही मानवता को मारा जाएगा तो फिर बचेगा क्या? मैं किसी को रुस्वा नहीं कर रहा बस बताना चाहता हूँ कि बंटवारे से बचो मानवता को जिंदा करो।

और साथ ही ये भी निवेदन है कि सत्ता में बैठे लोग इस स्कूल की घटना को सीरियस होकर ले इसे रोके ताकि आगे से कोई कम से कम मासूम बच्चों को तो धर्म के तराजू में ना तोले।

– मो. आरिफ कुरैशी

इंसानी सहारा भी
बेजुबानों को ही ढूंढ़ता है
अक्सर उम्रों पर जुबान
का ताला जड़ दिया है
-hittikahi

इंसान होता दोस्त तो सब
खरीद लेता
इंसान होता तो शायद तू
भी यहां न होता
-Satender_tiwari

बहुत उदास थी और रोकर बता रही थी
दर्द वो अपना, मुझ वानर को
कह रही थी, सवेरे से बैठी
मुझ बुढ़िया से लेता कुछ न कोई
लौटूंगी क्या मुख लेकर
जहां कुछ और पेट भूख में सोए
मैं वानर समझा सब कुछ
पर बोल ना पाया
फेरा हाथ कंधों में
दिया तस्सली भरा साया
-jayvk95

युवा लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए पञ्चदूत द्वारा अलग-अलग प्रयास किए जाते रहे हैं। इस बार सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर #oldage_panchdoot के साथ एक तस्वीर साझा की गई। जिसे युवाओं ने अपने शब्दों द्वारा सजाया है जिसके अंश यहां मौजूद है...

बेजुबान ही सही तू मेरी हालत को समझा होगा
यूं ही नहीं तेरा हाथ मेरे कांधे पे, आया होगा
उम्र घटी दुनिया पढ़ी, मुझे ये निचोड़ समझ आया
औलाद हो अच्छी तो भला वरना बेऔलाद का हो साया
-ehsaas_arav

v v v

अम्मा
वफादारी की बात न कर, मैं हनुमान का वंश हूं
मर्कट
छल का जमाना है, न यहां राम न ही हनुमान है
-M@n6i

v v v

मैं इंसान नहीं पर तेरा दर्द समझता हूं
ठुकराया है अपनों ने वो पीर समझता हूं
तुम दो प्यार मुझे, मैं प्यार का भूखा हूं
मैं साथ हूं तेरे, तेरे जमीर का घाव समझता हूं
-ek_Khayal

v v v

तू मुझे देखकर रो रहा है
मैं तेरी हालत को
दोनों की कहानी एक-सी है
मैं प्यार की भूखी हूं
तू भूख का मारा है
-Himadrii_s

v v v

मां तेरा दर्द....मुझसे नहीं देखा जाता
जानवर हूं....जुबां से नहीं कह पाता
कैसे इंसान...तेरे दर्द सह पाता
इन्सान जानवर सा भी क्यों नहीं बन पाता
- sanjeev_mrigyatrishna

v v v

खेल जारी है मदारी का,
जमूरा इंसान पेट भरने को कूड़ा खाए
अमीरों की लूट-खसोट ने गरीबों को खूब है धोया
दुनिया की चालबाजियों को देख कबीरा रोया
-sudvandna

v v v

तमाशा दोनों का देखते हैं लोग बनकर बेजुबां
आओ हम एक-दूसरे का, दर्द बांट ले..थोड़ा सा
-Shrutiwariw99

v v v

मां की आखों में आंसूओं के सैलाब देख, ये कपि मन भी द्रवित हो गया
जब मानव ने मानवता कि हदें तोड़ी, तो यह अपनी संवेदनाओं से सबको विस्मित कर गया
-akash_tiwari

प्रश्न
जानवर के मन ने इंसान के मन से पूछा
जिनको पाला-पोसा, नौ महीने अपने खून से सींचा
तुझे इस दुकान पर, बैठाने से पहले एक बार नहीं सोचा
उत्तर
जैसे उनको पाला था, खुद को भी पाल लूंगी
तू भी रह जा मेरे पास, मैं तुझे भी प्यार दूंगी
-Kalpana (खूबसूरत ख्याल)

v v v

ये बूढ़ा तन बोझिल मन काया खोता जाए
हे कपि, इंसान क्यों इंसानियत खोता जाए
-dil_ke_bol_alfaaz

v v v

बिना बोले अहसास को वो बखूबी समझ रहा है
बूढ़ी मां की चुप्पी के पीछे का दर्द
उसे महसूस हो रहा है
चाहता है किसी तर मदद करना
इशारें-इशारें से ही ये अपनी बातें व्यक्त कर रहा है
बेजुबान हो कर भी ये जानवर
अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार खड़ा है
-शैली रस्तोगी

v v v

सब अपनी-अपनी जिंदगी काट रहे हैं
दो तन्हा जीवन अपना दर्द बांट रहे हैं
@meenuagg

v v v

जा तू अपने जंगल के रह
क्यों मुझ बूढ़ी निर्धन पर तरस खाये है
कही देख तुझे में इंसानियत
चोट पहुंचाकर तुझे ही
यहां इंसान भी, हैवान न बन जाये है
-annie_merikalamse

पल-भर में इंसान की इंसानियत तोल उठा
इस बुजुर्ग की पथराई आंखे देख खोल उठा
देख के उस बुजुर्ग का मौजूदा हालात ऐ 'विपिन'
बेजुबान जानवर का दिल भी बोल उठा

-विपिन बहार

v v v

मनुष्य के पास वाणी है, घाव देने के लिए
अव्यक्त सृष्टि के पास संवेदना, सांत्वना देने के लिए

-jignaa JGD

v v v

छोड़ दिया अब इंसानों ने इंसानियत
अब वो जानवरों में पलने लगा
उसकी नजरों में तो हम सभी जानवर
वो भला भेदभाव क्यों करने लगा

-anamika_ghatak

v v v

तू धीरज धारण कर माता, कहि रहो कपि समझाय
जब ठानी प्रीत मोसों, दिए सिय से राम मिलाय

-deepajoshidhawan

v v v

दर्द इस बूढ़ी मां का वो बेजुबान समझ रहा है
लाड़ले मैया के देखो, बदले में वानर ढांढ़स बांध रहा है

-sheetalsingh

v v v

वाह रे ऊपर वाले तेरी भी विचित्र माया है
अपनी लीला का बहुत अच्छा खेल दिखाया है
वो इसलिए तू देख अपनी लीला को
मनुष्यों ने तो मुझसे मुख मोड़ लिया है
मेरी दशा को देख ये बन्दर मुझे सांत्वना देने आया है

-rangkarmi_anuj

v v v

मजाल -ओ-ताव -ए-गोआई-ओ-दुनिया का
तमाशा बना गया..
'जाहिल' तुझे आज इंसानियत ये
अदना जानवर सिखा गया... -जाहिल 'अनूप'

v v v

प्रेम, दया, वफा
इंसानों तक सीमित नहीं
ऐ इंसान
इंसानियत पे न इतना इतरा

-parulsharma

v v v

बीता दी अपनी जिंदगी तूने
जिनकी जिंदगी बनाने में
अब वो भूलकर तुझको
लगे हैं दौलत कमाने को
जिन्हें चलना सीखाया तूने
तुझे छोड़ा अकेले जमाने में
अब मत कर तू उम्मीद उनसे
वो बिक चुके है जमाने में...

-vishal_meena

ये जीवन एक तमाशा है
बस सुख-दुख की प्रत्याशा है
है कौन मदारी किसे पता
है आशा कभी निराशा है
जब घोर लड़कपन रहता है
तो खुद को राजा कहता है
जब जोश जवानी चढ़ता है
तो खेल निराले गढ़ता है
फिर स्वंय बूढ़ापे में जग को
बूढ़ी आंखों से पढ़ता है
वो झुर्री पड़ी कपोलो पर
वो अनुभव की परिभाषा है
ये जीवन एक तमाशा

-ankita_kulshrestha

इंसानियत की हवा नहीं बहती इस संसार में
देखों बिक रही इंसानियत, यहीं कहीं बाजार में
दुख, दर्द तकलीफों का, उपहास बना दिया
न बेचारा जानवर, न मां की ममता का लाज किया
अस्तित्व नहीं इंसान का, माटी के शरीर बाकी है
बिकी जब से इंसानियत, न कोई इंसान बाकी है

-shona_writes (priya goel)

मां तू बोलकर भी अपना दर्द न समझा पाई
मैं मूक सब समझकर भी न बोल पाया
रोटी और रिश्ते की भूख क्या है, कोई हमसे पूछे
आज भी दर-दर भटकते हैं उसके लिए
आ जा इस मतलबी जहां से निकल
हम अपना एक जहां बसा लें

-raaj_kalam_ka

आज कल इस बूढ़ी माता की सुनता कौन है
तू ही मेरा अपना वानर, जो मेरी बातों को समझता है
मेरा क्या कसूर जो मैं मानव हूं, तेरा क्या कसूर जो तो वानर है
फिर भी मैं गरीबी में तड़प रही, तू भूखमरी से लड़ रहा
इक तू ही मेरा अपना, जो मेरी बात धीरज से सुन रहा

-shayraanshy_

कौन सुनता इस मां की मजबूरियां
करते सब अपनी मनमानियां
दुनिया भर की दुश्वारियां
तू ही सुन ले ऐ दोस्त
मेरी भूख की कहानियां -Suchita

v v v

जब तू ही मानव का वंशज है
फिर क्यों नहीं इसमें तेरा अंश
तू वन में इंसान बने घूम रहा
ये लिए शहर में जहरीले दंश -ramaiya

v v v

वाह, रे विधाता
तेरे भी खेल निराले हैं
इंसान जानवर से बदतर होता जा रहा
और जानवर इंसानों से बेहतर
सच ही है हर इंसान प्रेम के बिना अधूरा है
दूसरों का सुख तो सभी समझ लेते हैं
और दूसरों का दर्द जो समझे वही सच्चा इंसान है

-Anju_Tripathi..'तेजा'

v v v

मैय्या क्यों दुख करती है तू
आंखों में दर्द के आंसू भरती तो
किस अपने के लिए जी जलाती है तू
जीवन-पथ पर अकेला छोड़ गए
किस्मत के हाथों लड़ता छोड़ गए
तेरी खुद्दारी देख, मेरे से खुदगर्ज
इंसानियत निभाने चले आएंगे
पर इंसानियत के नाम पर
इंसान बार-बार तड़पता छोड़ जाएंगे -ss2908

v v v

तू बोल नहीं सकता
मैं कह नहीं सकती
हैरत है अपनी लाचारी को छिपा नहीं सकती
मैं बूढ़िया तू मेरा दोस्त
ये रास्ते हमारी पहचान
ना तेरा घर ना मेरा घर
जिंदगी फंसी बीच मझधार -krishanajha

v v v

मन के भाव को मन ही जाने
भूख को जैसे भूख पहचाने
कहीं का मारा कहीं से हारा
अपनों के द्वारा गया लताड़ा
अपना कोई पा जाता है
किसी रूप में ईश्वर, देखों घाव भरने आ जाता है

-Ayush_tanharaahi

v v v

कहती माता कपि काहे, तू पूछे व्यथा हमारी
एकाकी वनवास मिला, संत्रस्त है दशा हमारी

-smriti_mukht_iiha

v v v

प्रभु ने भी क्या खेल रचाया
असहाय का हाल जानने, मूक प्राणी को पहुंचाया

-poetess N...(poempoetess)

v v v

नजारे ऐसे की पांव ठिठक जाएं
तस्वीर जब तस्वीर नहीं भाव कहलाएं

- singh_ankit_hunny

हीरो बनती भीड़ को कैसे रोका जाए

अनिता सुधीर श्रीवास्तव

भीड़तंत्र अगर इतना प्रभावी हो जाये कि बिना किसी न्यायव्यवस्था के भावावेश मे स्वयं निर्णय ले कर किसी व्यक्ति की पीट-पीट कर जान ले ले तो इससे शर्मनाक स्थिति समाज में और क्या हो सकती है। 'बांटो और राज करो' की कुत्सित मानसिकता से लोग अभी भी निकल नहीं पायें हैं। ये अभी भी लोगों के मस्तिष्क में बहुत गहरे तक अपनी जड़ें जमाये हैं। कभी धर्म कभी परंपरा तो कभी अलग विचारधाराओं के नाम पर समाज को विभाजित करने की कुटिल चेष्टा कुछ गरम दल द्वारा अभी भी जारी है। कुछ घटनायें तो क्षणिक आवेश में होती हैं लेकिन अधिकतर घटनायें सोची समझी साजिश के तहत समाज मे अराजकता फैला कर क्षुद्र स्वार्थ पूर्ति के लिये होती है। मॉब लिचिंग का कारण भीड़ तो है ही साथ में मॉब अर्थात् मोबाइल का भी इस तरह की घटनाओं में योगदान है। सोशल मीडिया के द्वारा संवेदनशील मामलों पर अफवाहें फैलाकर भीड़ एकत्रित की जाती है। भीड़ ने सभ्य समाज की सोचने विचारने की क्षमता और न्याय व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। लव जिहाद, गौरक्षा आदि मामलों पर इस तरह की घटनाएं आये दिन खबरों में आ रही है। ये विचार करने की आवश्यकता है कि क्या मनुष्य के जीवन का कोई मूल्य नही है जो हिंसक भीड़ उसका शिकार कर लेती है। वो किसी का पुत्र, पिता, भाई कोई भी हो सकता है, वो परिवार के जीविकोपार्जन का एकमात्र सदस्य भी हो सकता है। कोई भी धर्म ये अत्याचार नहीं सिखाता और ना ही कोई धर्म मनुष्य के जीवन से बड़ा है। धर्म को तोड़-मरोड़ कर अपने पक्ष में ऐसे तर्क दिए जाते हैं कि समाज में धर्म के नाम पर खाई और गहरी होती जा रही है। या फिर ये कहा जाए कि भीड़ अब हीरो बनने की भूमिका में आ चुकी है। जिसके कारण हमारी सामाजिक व्यवस्था तार-तार हो रही है। गौरक्षा के नाम पर होने वाली मॉब लिचिंग पर विचार करें, ये सही है कि गाय हमारी आस्था हमारा विश्वास है। धर्म में गौमाता को विशेष पूज्यनीय स्थान दिया गया है लेकिन क्या.... मनुष्य के जीवन से बड़ा?

हीरो बनती भीड़ के अनेक रूप

देश में बढ़ रहे भीड़तंत्र को देखते हुए लगता है कि इसके एक नहीं बल्कि कई रूप है। आज के समय में मार डालने वाली यह भीड़ हीरो बनकर उभरी है। भीड़ सडकों पर दो तरह से दिखाई देती है एक चिंता वाली दूसरी हिंसा वाली। चिंता वाली इसलिए क्योंकि इसी भीड़ में बच्चा चोरी होने पर अनजान शख्स को लेकर गहरी घबराहट देखी जाती है। जो कानून को हाथ में लेने के लिए मजबूर करती है। दूसरी अखलाक मामला वाली भीड़, जो खुद ही न्याय करना और नैतिकता के दायरे तय करना जरूरी समझती है। ये भीड़ अब देश में तानाशाही व्यवस्था का विस्तार कर रही है। जान से मार देने वाली ये भीड़ सभ्य समाज की सोचने-समझने की क्षमता और बातचीत से मसले सुलझाने का रास्ता खत्म करती जा रही है। भीड़ में कुछ विचित्र लोग भी होते हैं जो पूरे हादसे को सोशल मीडिया पर फैलाने के लिए उस भीड़ का हिस्सा बनते हैं।

बढ़ती तकनीक ने बढ़ाई मुश्किलें

पहले तकनीक का विस्तार ज्यादा नहीं होने के कारण अफवाहें कम फैला करती थी, जिनसे हिंसा फैलने का खतरा कम हुआ करता था। लेकिन अब बढ़ती तकनीक ने अफवाहों का बाजार तेज कर दिया जिसके नतीजे आज हमारे सामने है। हर बार शुरुआत एक जैसी होती है, हिंसा का तरीका एक जैसा होता है। हर मामले में अफवाहें आधारहीन होती हैं। फिर ये तरीका एक से दूसरी जगह पहुंचता जाता है लेकिन अलग-अलग परिणामों के साथ। पिछले माह की खबर थी भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में तीन लोगों को क्रिकेट बैट से मार डाला। बढ़ती तकनीकी सुविधाओं के कारण अब सबकुछ बहुत तेजी से घट रहा है। किसी को शक हुआ, उसने मैसेज भेजा और भीड़ जमा हुई और खुद ही न्याय कर के चली गई। फिर उस गुमनाम भीड़ के खिलाफ न्याय होने की संभावना न के बराबर हो जाती है। याद है आपको अगरतला की वो घटना जिस में भीड़ ने उस शख्स को मार डाला जिसने इस तरह की अफवाहों पर जागरूकता फैलाने का काम किया था। उनके साथ अन्य तीन लोगों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या वाले मामले को देखते हुए ऐसा ही लगता है भारत के इस समय मौखिक, लिखित और तकनीकी दौर इन तीनों से हिंसा का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है भीड़ का न्याय ये सोचने के मजबूर कर देता है कि आखिर लोगों के दिमाग में चल क्या रहा। क्यों शांति प्रिय इंसान इतना हिंसक हो उठा है। जब बात हिंसक बर्ताव की आती है तो, इससे निपटने का एक ही तरीका लोग बताते हैं, कानून सख्त बना दो। जैसे हाल ही में 12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार पर मौत की सजा का प्रावधान हुआ है लेकिन क्या इससे कोई बलात्कार में कमी दिखाई दी। गुजरात का हाल ही का मामला है। जहां एक बिहारी युवक ने 14 महीने की बच्ची से बलात्कार किया। जिसके बाद राज्य के कई हिस्से में हिंसा फैली और उत्तर भारतीयों के पलायन करने की खबरें सामने आने लगी। हालांकि इस मामले के आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बावजूद भीड़ ने पूरे राज्य में अशांति फैला दी। इसमें अंतरजातीय विवाह, गौ-हत्या, सांप्रदायिक दंगे आदि शामिल हैं। जहां एक तरफ सरकार अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को सम्मानित करती हैं वहीं ये कैसा समाज जहां इन जोड़ों को रहने के लिए जगह भी नसीब नहीं होती। तेलंगाना का मामला जहां अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ें को मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हुआ लेकिन नतीजा क्या निकला ये आप जानते होंगे। देश में अब कई हिंसक घटनाएं सामने आने लगी है जिस पर कानून की मांग होने लगी है। लेकिन ऐसा कानून सख्त कानून है जो आदमी को हिंसक होने से रोक लेगा। हिंसा को इंसान का जन्मजात बर्ताव मान लिया गया है, जिसे बदला नहीं जा सकता। सोच यही है कि जो लोग हिंसा करते हैं, उन्हें सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता, इसलिए सख्त कानूनों की बात ही की जाती है लेकिन, सख्त कानूनों से बात बनती होती, तो कब की बन जाती। सऊदी अरब और ईरान जैसे कई मुल्क है, जहां अपराध के लिए मौत की सजा तय की गई है, मगर अपराध तब भी नहीं रुके। भारत में भी कई अपराधों के लिए मौत की सजा मिलती है। मगर वो जुर्म अब भी होते हैं। खैर, यहां अपनी भावनाओं को कुछ पंक्तियों में समेटने की कोशिश की है...

लक्ष्मी स्वरूपा,
पवित्र पूज्यनीय
हमारी आस्था
हमारा विश्वास
हमारी गौ माता।
संस्कार सीख, उस पर
अटल रहते हम
सीखा है हमने
माता की रक्षा
सबसे बड़ा धर्म।
मां कोई भी हो,
माता तो माता है
जननी हो,
भारत माता
या हो गौमाता।
स्वयं से पूछो
क्या न्याय संगत है,
एक माता की रक्षा हेतु
दूसरी के 'लाल'
को पीट-पीट कर मारो।
क्यों मोहरा बनते इन हुक्मरानों के
इनका तो काम है लड़ना लड़ाना।
मजहब के नाम पर लड़ा
खुद अलग हो लेंगे
कुटिल चाले चल,
तुम्हे मझदार में छोड़ देंगे
हर धर्म सिखाता
पाठ इंसानियत का
इंसान बनो,
छोड़ो ये काम
मॉब लिचिंग का।

अनिता सुधीर श्रीवास्तव

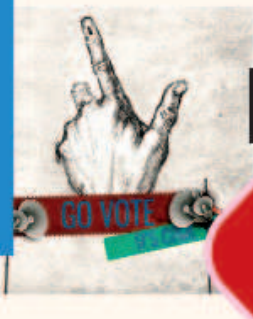

आपको नई पहचान दिलाने के लिए पञ्चदूत आ रहा है आपके शहर में सामाजिक मञ्च / SOCIAL STAGE कार्यक्रम लेकर, जहां सामाजिक मुद्दों पर कविताएं/गीत/गजल आदि लिखने वाले युवाओं को मौका मिलेगा एक बड़े मंच पर प्रस्तुति देने का। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपनी प्रस्तुति का 30 सेकंड का ट्रेलर वीडियो magazine@panchdoot.com पर आधार कार्ड की कॉपी के साथ ई-मेल करें।

नोट : आपके शहर/गांव से उपयुक्त संख्या होने पर ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए
www.panchdoot.com को विजिट करें।

मरती इंसानियत यहां

मर गई है इंसानियत यहां
जिन्दा है सिर्फ हैवानियत यहां
कोई कितना भी रोक ले अब
रोज नए मुद्दे पैदा होते हैं यहां
अपने जमीर में कालिख पोत डाली है
हर एक जगहों में कितने मवाली हैं
उनके रखवाले खुद एक इंसान हैं यहां
मर गई है इंसानियत यहां
चीख पुकार को कोई नहीं सुनता
अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता
लाशों की खरीद बिक्री होती है यहां
मर गई है इंसानियत यहां
खून अब खून का कत्ल करता है
कचरे की डिब्बे में मासूम पड़ा रहता है
गिद्धों और भेड़ियों से भी गए गुजरे हैं यहां
मर गई है इंसानियत यहां
बंदूक के दम पे लोगों को डराते हैं
सत्ता के लिए बेगुनहों का मारते हैं
पैसों के बिस्तर पे जो सोते हैं यहां
मर गई है इंसानियत यहां
जालिमों ने लूट लिया हक किसान का
रह गया किसान बिना खेत और मकान का
जिनकी रोटी खाके उनको धमकाते हैं यहां
मर गई है इंसानियत यहां
कानून का रास्ता अब आसान नहीं रहा
गवाही देने वाला कभी जिन्दा नहीं रहा
फैसलों और तारिखों में उम्र कट जाती है यहां
मर गई है इंसानियत यहां
अपने ही मुल्क में जो सहमे से रहते हैं
बेबुनियाद कायदे और कानून में जीते हैं
कैदियों की तरह इंसानो से सुलूक होता यहां
मर गई है इंसानियत यहां
शोषित और शोषित होता जा रहा है
भुखमरी और कुपोषण से बच्चा मरता जा रहा है
इंसानी जिस्म का सौदा होता है यहां
मर गई है इंसानियत यहां
खोखला कर दिया है राजतंत्र के बादशाहों ने
लुटी है जनता बेरोजगारी महंगाई और गरीबी में
सिर्फ चर्चाओं में सिमट जाते हैं पूरे वादे यहां
मर गई है इंसानियत यहां।

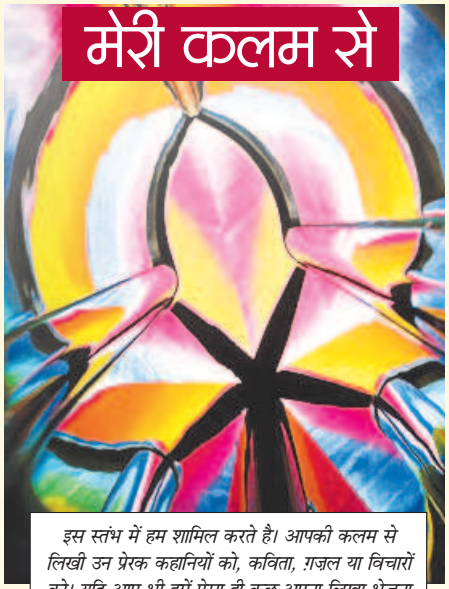

इस स्तंभ में हम शामिल करते है। आपकी कलम से लिखी उन प्रेरक कहानियों को, कविता, ग़ज़ल या विचारों को। यदि आप भी हमें ऐसा ही कुछ अपना लिखा भेजना चाहते हैं तो अपनी फोटो और फोटो आईडी के साथ हमें ई-मेल करें- magazine@panchdoot.com

कविता

बाल मजदूर

माता-पिता की छांव से हुए वंछित जो
जैसे डाली से टूटा कोई फूल हो
खिली भी नहीं थी मुस्कान जिनकी
अंधेरों में बिता रहे हैं बचपन वो
कंधों पर मजबूरी का बोझ ढो।

ना थी जिन्हें समझ कोई
घर घर खेलते, कब घर बनाने लगे नन्हे हाथ वो
सपने देखे थे पढ़कर उड़ाएंगे हवाई जहाज
गरीबी ने सिखा दिया कुछ और ही पाठ
बन कर रह गए बाल मजदूर वो।

कैसे हो सकता है बाल शोषण का खात्मा
जड़ से इस संक्रामक रोग को होगा मिटाना
हां कानून की नजर में ये एक गुनाह है
लेकिन क्या कभी किसी ने इनका दर्द भी सुना है?

चलो ये बीड़ा हम उठाएं
मजदूर बच्चों को हम पढ़ाएं
बुझने ना दें उनकी आंखों में कुछ बन ने की ज्वाला को
चलो उन्हें अत्म निर्भर बनाएं
भारत को एक नयी सुबह से परिचय कराएं।

क्या यह है समाज?

कोई गाए स्त्री की गौरवगाथा
कोई लूटे नारी की लाज,
यह है वह भद्र-अभद्र समाज
जहां सभ्य तथा असभ्य जन करते हैं निवास।
कोई फसा है धर्म के विवाद में
कोई धर्म को बनाए विवाद,
यह है वह भद्र-अभद्र समाज
जहां सभ्य तथा असभ्य जन करते हैं निवास।
कोई शिक्षित होकर अन्याय है सहता
कोई अज्ञानी अपराध कर भूलता अपनी राह,
यह है वह भद्र-अभद्र समाज
जहां सभ्य तथा असभ्य जन करते हैं निवास।
कोई मां-बाप का बनता है सहारा
कोई जन्मदाता को वृद्धाश्रम का देता है आवास,
यह है वह भद्र-अभद्र समाज
जहां सभ्य तथा असभ्य जन करते हैं निवास।
कोई रखता भावना सेवा की
कोई सत्ता की रखता है आस,
यह है वह भद्र-अभद्र समाज
जहां सभ्य तथा असभ्य जन करते हैं निवास।
कोई जीवन में है रंग भर देता
कोई रंग बदलता हुआ मानव यहां,
यह है वह भद्र-अभद्र समाज
जहां सभ्य तथा असभ्य जन करते हैं निवास।
कोई पराया अपना बन जाता
कोई अपना अपनों का अधिकार छीन लेता,
यह है वह भद्र-अभद्र समाज
जहां सभ्य तथा असभ्य जन करते हैं निवास।
कोई है अत्यंत रूपवान या गुणवान
कोई है नियत से कुरूप इंसान,
यह है भद्र-अभद्र समाज
जहां सभ्य तथा असभ्य जन करते हैं निवास।
हिंसा और अहिंसा चलते हैं समांतर
सत्य या असत्य है कई लोगों के लिबास,
यह है वह भद्र-अभद्र समाज
जहां सभ्य तथा असभ्य जन करते हैं निवास।
हम हैं इस समाज से या हमसे है यह समाज
सोचो अब श्रेय किसे और दोष किसे है देना?
हां, यही है वह भद्र-अभद्र समाज
जहां सभ्य तथा असभ्य जन करते हैं निवास।

अनुज शुक्ला

गीताजंलि कपूर

निमिषा एम. त्रिवेदी
saknimwy

बहरूपिया

लोग कितना झूठ बोलते हैं
जैसे आसमान नीला होता है
पर मैंने तो उसे काला, सफेद और रक्तिम होते भी देखा है
तुम जानते हो आदमी भी वैसा ही होता है
बदलता रहता है, हर वक्त, हर पल
पर उसके पास एक महारत है
मन और तन को अलग दिखाने की।
गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या और क्रोध को छिपाकर
शांति, प्रेम वात्सल्य और करूणा ओढ़ लेने की

शायद यही वजह आदमी को जानवर से अलग करती है
पर इसकी कीमत भी बहुत अधिक है

एक बहरूपिया बनना इतना आसान नहीं होता
मुखोटे बनाने की महारत इतनी जल्दी नहीं आती

ये खुद से खुद की जंग है
जिसमे हार जीत से ज्यादा खेल में बने रहना जरूरी है

पर डर होता है खुद को भूल जाने का
शायद यही अनचाही हकीकत भी है
और कई इंसान बहरूपिये ही होकर
रह गए है।

पुनीत 'पार्थ'

क्षीण होती मानवता

जिनके लिए नभ विशाल, उन्मुक्त गगन बना,
नदी-सागर सा असीमित स्वावलंब चमन बना,
वही चिड़ियाघरों की भूमि में कैद घुटते जाते हैं ,
उनके अश्रुओं में मनु-स्नेहिल भाव छूटते जाते हैं,
जीवन पर्यन्त, जीवोपरांत तेरी सेवा में तत्पर हैं,
तृष्णा में, भूख में, बनने को तेरी रोटी अग्रसर हैं,
उनके अंतर्मन में भी भावनाएं निवास करती हैं,
प्रेम करुणा के स्पर्श को भी आभास करती हैं,
दीप-ज्योति कहीं प्रचण्ड ज्वाला न बन जाये,
आहित हृदय कहीं तांडव शिवाला न बन जाये,
तू खाता जा रहा है मानवता को, हे मानव..!
एक दिन स्वयं पशुता का निवाला न बन जाये,
आहत है पशु, आहत उनकी आत्माएं,
बन्दर कैद जंजीर में, बेघर गौ माताएं,
जिनके अस्तिव से संपूर्ण,सकल संसार है,
उन्ही की विलुप्ति से हिलता सृष्टि आधार है,
तेरी विपत्ति में पालित श्वान बकरी भी अश्रु बहाती है,
तेरी विपदा में सकल जीव जाति सर्वस्व लुटाती है,
है मानवता प्रेमपूर्ण हृदय क्या ये असलियत बताई न गयी,
अरे मनुज पशुओं से भी तुझ सी
वहशियत दिखाई न गयी।

-ओश्मी गुप्ता

किसान

किसान का बेटा हूं
मैं दर्द किसान का लिखता हूं
मिट्टी से जुड़ा हूं
मैं इसकी खुशबू से प्यार करता हूं
मक्कारी नहीं किसान में
वो ईमानदारी में यकीन रखता है
वो दिन-रात काम करता है
वो मेहनत में यकीन करता है
वो अन्नदाता है
पर कई बार भूखा रह जाता है
दूसरों का पेट भरने वाला
पर अक्सर भूखा सो जाता है
वो मेहनत से जो भंडार भरता है
उसकी पूरी कीमत को तरसता है
कुछ पैसे मिलते हैं उसको
पर ख्वाइयों के लिए हताश हो जाता है।

ओम प्रकाश घांची

मानवता

ओ मेरे नवयुवकों मन से नव युग स्वीकार करो,
छोड़ो अब मधु गीत को, मानवता को स्वीकार करो।
ज्ञान की बात सब कहते है, कहते है ये धर्म
गीता को दिल में रखों, जिह्वा पर कुरआन
शिक्षित करो आज कलि को, कल उसे मान दो
धर्म का पाठ न पढ़ाओं, ओ मेरे अधर्म पुरुष
पुरुषार्थ पाठ खुद पढ़ों, ओ मेरे नवपुरुष
आज स्त्रियों को तुम शोषण करना बंद करो
कल जो बेटी होगी लक्ष्मी उसको आदर सम्मान दो
यह अत्यचार और दुराचार से उन्हें मुक्ति दो
वे अकेली हो रही है, ओ मेरे साथिगन
छोड़ो अब मधु गीत को, मानवता को स्वीकार करो।
धर्म प्राणी, व्यापार प्राणी आज खोखले हो रहे है
इंसा नहीं, इंसानियत नहीं, ईमान नहीं
न जाने आज वो किस फने में जा रहे है
कथित तौर पर कवि बतलाने आते हैं
मोहमाया त्याग दो, ओ मेरे युगपुरुष
आज जो कुप्रभाव का समय जो हर पल है
आज घूँघट में बेटी, वो जो बुर्के में बहन है
वे जो चबूतरे पर बैठे, तुम ना अब उपहास उड़ाओ
मानवता की दृष्टि रखों, दिल में नवदुर्गा बसाओ
छोड़ो अब मधु गीत को, मानवता को स्वीकार करो।

शिवम राज व्यास

दिल की बात

भाई की है जो राखी, पिता की आन है बेटी
जो जन्मे कोख से मां की, खुदा का वो वरदान है बेटी
मिटा दे दर्द जन्मों का, जिसकी एक मुस्कान है बेटी
जिसे पूजे नवरात्र में, वही भगवान है बेटी
कोमल सी कली है वो, देखो कितनी प्यारी है
महका दे जो आंगन को, निर्मल सी वो क्यारी है
करते सब है तकरीरे, पराया धन है ये बेटी
जो माने सबको ही अपना, गंगा सा पावन मन है ये बेटी
गिद्धों से पटी धरती, तेरे सब तन के प्यासे हैं
दया करना ना बन सीता, ये सब मारीच के झांसे हैं
बढ़े जो हाथ आंचल तक, उन्हें अब काट देना तू
उठे जो सर बगावत में, टुकड़ो में बांट देना तू
रक्षक थे जो दामन के, भक्षक में है बदले वो

उन्हें मारेंगे अब कैसे, जो सांप आस्तीन के हो
है देनी जो सजा दे दो, चाहे फांसी या सूली
कहूंगा अब दरिंदों को, छुपी जो बात है दिल की
तेरी मां भी है इक बेटी, बहन तेरी भी इक बेटी
जिसे ताके तू सड़कों पर, किसी की वो भी है बेटी
है कहता अपनी बेटी को, के मेरी शान है बेटी
जो होती गर पराये की तो बाजारू सामान है बेटी

न कोई दोष कपड़ों का, तेरी ही सोच छोटी है
दलीलें कर ले जितनी हो, तेरी नीयत ही खोटी है।

वैभव पासरीजा

बट रहा है इंसान

भड़क रही है आग मन में, झुलस रहीं हैं भारत मां।
इस मिट्टी में भेद-भाव से, बट रहा है वह इंसान।
आज उस नारी के साथ हुआ फिर अत्याचार,
पर मूक बन कर खड़ा रहा आज फिर वह समाज।
उसके पैरों में आज भी जड़ी हैं बेड़ियां,
और वे सोचते हैं कि उनका देश कर रहा हैं तरक्कियां।
हुआ न इतने सालों में कोई बदलाव।
जहां खड़ा था पहले, वहीं खड़ा हैं वह इंसान।
दर्द है उस मां के दिल में आज,
जिसका तोड़ा गया है विश्वास।
अपनी संतान को रोता देख, झुलस रहीं हैं भारत मां।
कुछ जन भूखे सो रहें हैं, कुछ कर रहें हैं आराम।
और वो कहते हैं कि, हो रहा है इस देश में फिर बदलाव।
भिखारी को लात मार कर, सब कर रहें हैं जैसे उपकार।
भड़क रही है आग मन में, झुलस रहीं हैं भारत मां।

आयुषी बाजपेई

एंड्रॉयड मोबाइल फोन

निधि सहगल

गुप्ता जी आज ऑफिस में मिठाई का डिब्बा लेकर दाखिल हुए। सबको मिठाई बांटी तो सभी सहकर्मी खुश होते हुए मिठाई बांटने का कारण पूछने लगे।

मिसेज रीना बोली, 'क्या बात है गुप्ता जी? कोई बड़ी खुशखबरी लगती है।'

गुप्ता जी ने रोबदार मुद्रा में खड़े होकर अपनी जेब से एंड्रॉयड मोबाइल फोन को निकाला और सबको दिखाने लगे। ऑफिस के सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। जो गुप्ता जी एंड्रॉयड फोन के इस्तेमाल पर फब्तियां कसा करते थे, लम्बे-लम्बे लेक्चर दिया करते थे, आज स्वयं ही उसके गुलाम होने को तैयार हो गये।

गुप्ता जी स्टाइल मारते हुए अपने केबिन में दाखिल हुए। कुर्सी पर विराजते हुए सोचने लगे कि कहीं इन ऑफिस के सहकर्मियों को पता ना चल जाये कि ये मोबाइल उन्होंने खरीदा नहीं है बल्कि सड़क के किनारे पेड़ के पास पड़ा मिला है उनको, अत: उन्हें बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा।

सिम कार्ड तो उन्होंने तोड़ कर फेंक ही दिया है और नया सिम कार्ड मोबाइल में डाल दिया है। शाम को घर पहुंचते ही गुप्ता जी ने अपनी पत्नी व बच्चों को भी मिठाई खिलाई और साथ ही सख्त आदेश दिये कि उनके मोबाइल को कोई हाथ नहीं लगायेगा। पत्नी व बच्चे भी हैरान थे कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे! उनके घर में एंड्रॉयड फोन का स्वागत कैसे हो रहा है, वो भी उसके घोर विरोधी के हाथों!

खैर, तरसती आँखों से झांकने लगे दोनों ही बच्चे कि बस एक बार मोबाइल को हाथ लगा कर देख लें, किन्तु अपने पापा की कठोर निगाह से डर कर दूर से ही मोबाइल को निहार रहे थे। पत्नी ने भी जैसे ही हाथ लगाया तो उस पर बरस कर गुप्ता जी बोले, 'अरे! क्या हल्दी मिर्च के हाथ लगा कर खराब कर दोगी तुम, मेरे नये नवेले मोबाइल को। जाओ रसोईघर में, एंड्रॉयड मोबाइल चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं।' पत्नी मुंह सिकोड़ती हुई, रसोईघर में घुस गई।

रात्रि भोजन के बाद, आज गुप्ता जी टहलने नहीं गये। पीठ के पीछे सिरहाना लगाकर पैरों को एक के ऊपर एक तान कर लेट गये और अपनी उंगलियाँ मोबाइल की स्क्रीन पर घुमाने लगे। एक के बाद एक एप्लीकेशन खुलनी शुरु हो गई। बच्चे जरा झांकें तो उनको तीखी निगाह से ही झिड़की मिल जाती। पत्नी बेचारी चुपचाप आज उनके नवीन रूप के दर्शन करके हैरान हुए जा रही थी।

आखिरकार दोनों बच्चे व पत्नी सो गये। परन्तु गुप्ता जी की आंखों मे आज नींद कहां थी। वह तो कभी कोई गेम तो कभी किसी वीडियो का मजा ले रहे थे। रात के दो बजे जब उनकी आंखें बुरी तरह बोझल हो गईं तब उन्होंने मोबाइल को अपने बेड की साइड टेबिल पर रखा और सो गए।

सुबह के आठ बज चुके थे। जो गुप्ता जी पांच बजे उठ जाते थे, आज गहरी नींद में बिस्तर में घुसे हुए थे। पत्नी चार बार उठा चुकी थी किन्तु गुप्ता जी को होश ही नहीं था। आखिर में तंग आकर पत्नी चिल्लाइ, 'ये मुआ मोबाइल अब ऑफिस से इनकी हमेशा के लिये छुट्टी करवायेगा।'

मोबाइल का नाम सुनते ही गुप्ता जी बिस्तर से उछल पड़े और इधर-उधर ताकने लगे कि कहीं उनके लाडले मोबाइल को किसी ने हाथ तो नहीं लगाया। भारी सर और बोझल आंखों के साथ गुप्ता जी जैसे-तैसे ऑफिस के लिये तैयार हुए। लेट होने की वजह से आज नाश्ता भी नहीं कर पाये।

थके कदमों से और उबासी लेते हुए जैसे ही गुप्ता जी ऑफिस मे घुसे, सहकर्मी उनका चेहरा देखकर सारा माजरा समझ गये। एक सहकर्मी ने चुटकी लेते हुए कहा, 'क्या बात है गुप्ता जी, रात को नये मोबाइल खरीदने की पार्टी दी थी क्या? मालूम होता है, देर रात तक जश्न चला है।'

सभी सहकर्मी ठहाका लगाकर हँसने लगे। गुप्ता जी मुंह सिकोड़ते हुए अपने केबिन में घुस गये। टेबिल पर फाइलों का ढेर लगा था। कुर्सी पर विराजते ही एक फाइल खोली ही थी कि तभी मोबाइल में मेसेज नोटिफिकेशन की टोन बजी। बस फिर क्या था, तिलिस्मी मोबाइल ने गुप्ता जी को फिर जकड़ लिया और कब दो घंटे बीत गये पता भी ना चला। फाइल खुली की खुली रह गई।

तभी दरवाजे की खटखटाहट ने गुप्ता जी का ध्यान भंग किया। गुप्ता जी ने मोबाइल को साइड में रखा और अन्दर आने के लिये 'कम इन' कहा।

प्यून फाइलों के ढेर के साथ केबिन में दाखिल हुआ और बोला, 'बड़े साहब ने कल की सारी फाइलें मंगाई है और ये फाइलें भेजी हैं।'

गुप्ता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। घड़ी में टाइम देख कर वो और भी दंग रह जाते हैं। दो बज गये और उन्होंने अभी तक काम नहीं शुरु किया। वो प्यून को एक घंटे तक फाइलें तैयार करके देने को बोलते हैं। एक घंटे बाद जैसे-तैसे कल की फाइलें तैयार करके गुप्ता जी बड़े साहब के केबिन तक पहुंचते हैं। लंच करने के बाद आज की आई फाइलों को देख उनकी थकान बढ़ जाती है। स्वयं को रीफ्रेश करने के लिये सोचते हैं, 'चलो, दस मिनट मोबाइल पर स्वयं को रिफ्रेश कर लूँ, फिर काम शुरू करता हूँ। हाँ, बस दस मिनट।'

फिर से मोबाइल पर उंगलियाँ घूमनी शुरू हो जाती हैं और शाम के पाँच बजे तक नहीं रुकती। आखिरकार दिन बीत जाता है और फाइलें घर तक पहुँच जाती हैं।

जो गुप्ता जी हमेशा अपने काम को ऑफिस में पूर्ण करके निकलते थे, आज घर की दहलीज के पार ले आए। पत्नी, बच्चे तक हैरान कि आखिर गुप्ता जी को हो क्या गया है। कोई बस सत्य बोलकर उनके गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता था, इसलिये सब चुप करके तमाशा देख रहे थे।

अब ये हालात रोज के होने लगे। कभी-कभी तो काम पूर्ण होता भी नहीं था जिसके लिये उन्हें बड़े साहब से डाँट भी सुननी पड़ती थी। आखिरकार, एक दिन उनकी लापरवाहियों और देर से काम करने के लिये उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें झटका तो बहुत लगा किन्तु आपने अहम को कैसे नीचा गिरने देते। अत: बोले, 'हुह! बहुत नौकरियाँ मिल जायेगीं। वैसे भी जरा सी तनख्वाह में इतना काम करवाते थे।'

उदास व परेशान होकर गुप्ता जी एक पार्क में जाकर बैठ गये। वहां भी मोबाइल की तीव्र इच्छा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वह मोबाइल में जब पूरी तरह मग्न थे, तब उन्होंने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। पीछे मुड़कर देखा तो उनका बचपन का दोस्त रोशन खड़ा मुस्कुरा रहा था।

गुप्ता जी चौंक कर बोले, 'अरे रोशन! तुम यहां कैसे? तुम तो बनारस में थे ना?'

रोशन ने गुप्ताजी को बताया कि उसका इसी शहर में ट्रांसफर हो गया है। गुप्ता जी अपने मित्र से मिल कर बहुत ही खुश थे। अपना सारी परेशानी जैसे भूल से गये थे। बातों-बातों में गुप्ता जी ने बताया कि उनकी नौकरी छूट गई है और वह नई नौकरी की तलाश में हैं। रोशन के कारण पूछने पर गुप्ता जी बात को गोलमोल कर गये।

तभी गुप्ता जी के मोबाइल पर मैसेज के नोटिफिकेशन के टोन बजे। गुप्ता जी फिर से मोबाइल में जुट गये ये सोचे बगैर कि उनका बचपन का मित्र उनके पास बैठा है जिससे वह इतने वर्षों बाद मिल रहे हैं। रोशन समझदार था और गुप्ता जी का परम मित्र भी अत: उसने फौरन गुप्ता जी को टोक दिया, 'मोहन, कहीं तुम्हारी नौकरी इस मोबाइल की वजह से तो नहीं गई?'

गुप्ता जी, जैसे सन्न से हो गये। उनकी दुखती कमजोरी पर जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो। इस से पहले कि वह कुछ बोलते, उनका चेहरा देखकर ही रोशन सब समझ गया और बोला,' देखो मोहन, किसी भी चीज की हद जरुरी है नहीं तो वह बर्बादी का कारण बन ने लगती है। और यदि तुम हद में रह कर उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो बेहतर होगा कि उस चीज से दूर रहो।' इतना कहते ही रोशन ने गुप्ता जी से हाथ मिलाया, अलविदा ली और उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया।

गुप्ता जी भी पार्क से निकल कर सीधा उसी पेड़ के पास गये और मोबाइल से सिम कार्ड निकाल कर तोड़ दिया और मोबाइल को वहीं रख कर घर की तरफ रुख लिया। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी अज्ञात बोझ से उन्हें छुटकारा मिला हो।

कुछ ही दिनों में उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब गुप्ता जी पहले की भांति अपने परिवार के साथ खुश रहने लगे और फिर से एंड्रॉयड मोबाइल के विषय पर फब्तियाँ कसने लगे।

निधि सहगल

।। जय बजरंग बली ।।

न्यू बैच प्रारम्भ

NAVY | Air Force

ARMY | SSC-GD

अनुभवी व स्थाई फैकल्टी

☞ प्रिंटेड नोट्स ☞ छात्रावास सुविधा

सुरेन्द्र तेतरवाल सुनील तेतरवाल द्वारा संचालित.....

जी.एस. एकेडमी

कस्वां टावर, मण्डावा मोड़, झुंझुनूं

8094786444, 9875219671, 7597340430

* सलेक्शन नहीं तो पैसा वापिस नियम व शर्तें लागू